सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय

Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की दसवीं रिपोर्ट (2015-16) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY SHRI ARUN JAITLEY, MINISTER OF FINANCE, IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS — 10TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2015-16), (16TH LOK SABHA) RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE

मार्च, 2016

MARCH, 2016

अनुक्रमणिका		INDEX	
क्रम संख्या **विषय-सूची**	**पृष्ठ संख्या**	**Sl No.** **Contents**	**Page No.**
1. श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i-ii	1. Statement by Shri Arun Jaitley, Minister of Finance	i-ii
2. अनुबंध - दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को लोक सभा में रखी गई/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग) की **2015-16 की अनुदान मांगों के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति की दसवीं रिपोर्ट** में सन्निहित सिफारिशों/ टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।	1-23	2. Annexure- Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the **10th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2015-16** of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment) presented to the Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 24th April, 2015.	25-56

आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों संबंधी अनुदान मांगों (2015-16) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 10वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, लोक सभा बुलेटिन, भाग-II दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के जरिए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73-ए के अनुसरण में आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभाग विषयक वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 10वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देना अपना सौभाग्य मानता हूँ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की **10वीं रिपोर्ट 24 अप्रैल, 2015 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई 10वीं रिपोर्ट** अनुदान मांगों (2015-16) की जांच से संबंधित है। इस रिपोर्ट में, समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और चौदह (14) सिफारिशें की हैं जिनके संबंध में सरकार की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्यतः बजट आवंटन में विसंगति व बजट दस्तावेज का सरलीकरण, नीति आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को किये जाने वाले आवंटन, नीति

STATEMENT BY SHRI ARUN JAITLEY, MINISTER OF FINANCE, IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 10TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (16th LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2015-16) RELATING TO THE DEPARTMENTS OF ECONOMIC AFFAIRS, FINANCIAL SERVICES, EXPENDITURE & DISINVESTMENT

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 10th Report of the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha) in pursuance of Direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin, Part II dated 1st September 2004.

The **10th Report** of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha) was **presented** to Lok Sabha on **24th April, 2015**. The 10th Report relates to examination of Demands for Grants (2015-16). In the Report, the Committee deliberated on various issues and made Fourteen (14) recommendations, where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to Inconsistency in Budgetary Allocation/Simplification of

आयोग के अधिदेश, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को धन हस्तांरण, क्षेत्रीय परिषदों को निधि आबंटन, चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के निहितार्थ, भारत के लोक लेखा में धन हस्तांतरण, फसल ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना, किसानों को वित्तीय संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कर्ज की वसूली तथा लावारिस जमा आदि से जुड़े मामलों से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण दिनांक **23 जुलाई, 2015** को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे। समिति द्वारा 10वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषयवस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

Budget Document, Allocations to be made to states on recommendations of NITI Aayog, Mandate of NITI Aayog, Funds transfer to States and Union Territory Government, Fund allocation to Regional Councils, Fourteenth Finance Commission report implications, Transfer of Funds to the Public Accounts of India, Interest subvention schemes for crop loans, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Recovery of Debt and Unclaimed Deposit etc.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on **23rd July, 2015**. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 10th Report is indicated in **Annexure**.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure. I would request that this may be taken as read.

अनुबंध

वित्त मंत्रालय से संबंधित स्थायी वित्त समिति (16वीं लोक सभा) की दसवीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
1.	01	वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) की जांच के दौरान, समिति ने बजटीय आबंटनों में विसंगतियों के मामले तथा प्रवृत्तियां देखी और बजटीय निधियों के बड़े पैमाने पर कम उपयोग को भी पाया जिन्हें कुछ व्याख्यात्मक उदाहरणों से दर्शाया गया है- (i) परामर्शदाताओं को भुगतान, विधिक सेवा प्रभार, समझौता-ज्ञापन के कारण भुगतान आदि से संबंधित मांग सं.34 (ब्यौरा शीर्ष 09.01.28); (ii) विज्ञापन और प्रचार के संबंध में किए गए व्यय से संबंधित मांग सं. 46 (ब्यौरा शीर्ष 52.01.26); (iii) अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय से संबंधित मांग सं.34 (मुख्य शीर्ष 5475); (iv) परिणाम बजट (2015-16) में यथा प्रदर्शित वित्तीय सेवाएं विभाग के संबंध में वर्ष 2012-13,2013-14 और 2014-15 की अवधि के दौरान बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय का विश्लेषण; (v) "सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि" से संबंधित मांग सं. 38 (मुख्य शीर्ष 7610) और (vi) ब्याज भुगतानों से संबंधित मांग सं. 36 । समिति अपने पिछले प्रतिवेदनों में अनुदानों की मांगों में ऐसी प्रवृत्तियों पर टिप्पणी करती रही है, जो बजटीय प्रक्रिया में केवल ढील और बजट बनाने में उपलब्ध साधनों/तकनीकों के अनुप्रयोग न किए जाने या अपर्याप्त उपयोग को दर्शाता है। इसके	यह देखा जा सकता है कि अधिकतर बचत बजट के बाद निर्णय/ विनियम दर में घट-बढ़/आर्थिक स्थिति के कारण हुई, जिनकी बजट अनुमान के समय कल्पना नहीं की जा सकती और इसलिए विभाग के नियंत्रण से परे हैं। तथापि, बजट परिपत्र जारी करते समय ऐसी बड़ी बचत/ कम सदुपयोग से बचने के लिए सभी संबंधितों से वास्तविक अनुमान के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं। स्थायी समिति के अवलोकन के आलोक में, बजट दस्तावेजों की समीक्षा करने और उनको तर्कसंगत बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		परिणामस्वरूप स्पष्टतः कुछ मामलों में निधियों के कम आबंटन के मुकाबले अधिक आबंटन, आगे के वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक के मध्य व्यापक उतार-चढ़ाव और बड़ी मात्रा में आबंटित निधियों का कम उपयोग जैसी कमियां आई हैं। निसंदेह, पिछले कुछ वर्षों में कुछ सुधार हुए हैं और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी, समिति मानती है कि और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि बजट अधिक सुसंगत तथा उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके इस संबंध में, समिति यह भी सुझाव देती है कि बजटीय प्रलेखन को सरल, कम दुष्कर और समझने में आसान बनाया जाए।			
2.	02	समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान यह बताया गया था कि नीति आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को किए जाने वाले आवंटन हेतु वर्तमान बजट में 20,000 करोड़ रुपए निश्चित किए गए हैं। बाद में, अपने साक्ष्य-पश्चात उत्तर में वित्त मंत्रालय ने बताया 20,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमान मुख्य शीर्ष 3601 (उप-मुख्य शीर्ष 03), अर्थात् राज्यों को विशेष सहायता, के अंतर्गत मांग सं. 37 (पूर्व में मांग सं. 36) में वर्ष 2015-16 में प्रारंभ की गई एक नई बजट लाइन है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ परामर्श से लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ब्यौरा शीर्ष/ वस्तु शीर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, इस राशि को नीति आयोग की सिफारिश के आधार पर संवितरित किया जाएगा। तथापि, समिति बजट में उक्त वर्णित निधियों के प्रस्तुतीकरण और साथ ही साथ उन्हें निश्चित किए जाने के संबंध में मंत्रालय के	विशेष सहायता एक नई बजट लाइन है जो 20,000 करोड़ रु. का बजट प्राक्कलन मांग सं. 37 में वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी जो क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों और परियोजनाओं, जिनके लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बजट प्रावधान नहीं किया जाता, से संबंधित बकाया प्रतिबद्ध देयताओं और भिन्न-भिन्न सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक कारकों के कारण आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों की आवश्यकता आधारित सहायता के लिए नियत की गई है। अब वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों में, केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए विशेष सहायता के तहत यह राशि, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान और सहायता अनुदान (सामान्य) के लिए क्रमशः 3601.03.560.01.00.35 और 3601.03.560.01.00.31 के रूप में 15 अंक के कोड के साथ मांग सं. 37- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लिए अंतरण में दर्शायी जाएगी। नीति आयोग के परामर्श से, भारत सरकार ने ब. प्रा. 2015-16 में प्रदान की गई विशेष सहायता का आबंटन अनुमोदित किया है जिसमें प्रतिबद्ध बकाया देयताएं और बीआरजीएफ-राज्य घटक (ओडिशा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट जिले, बिहार के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए	स्वीकृत	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। संसद के समक्ष ऐसे महत्वपूर्ण बजट अनुमान को प्रस्तुत करने/प्रक्षेपित करने के तरीके में अस्पष्टता तथा अपारदर्शिता का तत्व है, विशेष रूप से जब इसे पहली बार किया जा रहा है। अतः समिति यह चाहती है कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करे और समिति को सूचित करे कि ऐसे आबंटन, यदि कोई हों, वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों में कैसे परिलक्षित होंगे।	बुंदेलखंड पैकेज सहित) उत्तराखंड मध्यम एवं दीर्घावधि पुनर्निर्माण पैकेज 2013 और जम्मू और कश्मीर के लिए पीएमआरपी 2004 एवं बाढ़ पुनर्वास योजना 2014 के लिए 4950 करोड़ रुपए की आवश्यकता आधारित सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित सहायता का एक घटक 'संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों के लिए एक बारगी सहायता' हेतु 1000 करोड़ रु. है जिसका ऐसे क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत सम्मिलित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव किया गया है जिन्हें 14वें वित्त आयोग के सोच-विचार से अलग रखा गया है। इस प्रकार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मांग सं. 37 से आबंटन, मुख्यतः प्रतिबद्ध देयताओं और नीति आयोग द्वारा सुझायी गयी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है।		
3.	03	समिति यह भी समझ पाने में असमर्थ है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नवगठित नीति आयोग की सिफारिशों पर संवितरित की जाने वाली इतनी बड़ी राशि का नियोजन तथा उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। समिति यहां यह बताना प्रासंगिक समझती है कि यदि नवगठित नीति आयोग को अद्यपूर्व योजना आयोग की तरह राशि आवंटन का काम ही करना है तो यह स्पष्ट नहीं है कि योजना आयोग को समाप्त क्यों किया गया। अतः समिति राज्यों को संसाधनों के आवंटन और निधियों के ऐसे अंतरण को शासित करने वाले प्राचलों तथा तंत्र के संबंध में भी नीति आयोग के स्पष्ट आदेश के बारे में अवगत होना चाहेगी। यह मुद्दा स्पष्ट रूप से राज्यों को (वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर) बजटीय संसाधनों को अंतरित करने हेतु अपनाई गई नई प्रक्रिया/तंत्र के संबंध में प्रमुख चिंताओं को सामने लाता है, जिन पर आगे के पैराओं में चर्चा और टिप्पणी की जाएगी।	केन्द्र सरकार ने नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) स्थापित किया और योजना आयोग समाप्त कर दिया। यह राज्य सरकारों, क्षेत्र विशेषज्ञों और संगत संस्थाओं के साथ-साथ अनेक हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद किया गया है। नीति आयोग को योजना आयोग का प्रतिस्थापन न माना जाए। नीति आयोग की स्थापना विकास प्रक्रिया में समीक्षात्मक, निर्देशात्मक और रणनीतिक सुझाव प्रदान करने के लिए की गई है। तदनुसार, नीति आयोग को नई भूमिकाएं जैसे राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की साझा परिकल्पना विकसित करना और अनवरत आधार पर राज्यों के साथ ढांचागत समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना इसकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। अतः, नीति आयोग की भूमिका केवल आबंटन तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी नई भूमिका कई मायनों में योजना आयोग से भिन्न है। आबंटन की भूमिका नीति आयोग की अनेक भूमिकाओं में से एक है। तथापि, योजना आयोग की मौजूदगी के दौरान पूर्व प्रावधान के प्रतिकूल विशेष सहायता के तहत 20,000 करोड़ रु. नीति आयोग के परामर्श से प्रतिबद्ध और आवश्यकता आधारित देयताओं को पूरा करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की मांग सं. 37 में आबंटित किए गए हैं।	स्वीकृत	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			राज्यों की लम्बे समय से यह मांग रही है कि "एक आकार सभी के लिए उपयुक्त" का दृष्टिकोण छोड़ा जाए और केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत स्कीम आधारित आबंटन प्राप्त करने की बजाय उनकी जरूरतों एवं अपेक्षाओं के अनुसार उनकी योजनाएं तैयार की जाएं। केन्द्र सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और समाज में अंतर-संबंधी वंचन का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के और अंतर-राज्यीय स्वरूप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही चयनित आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए वचनबद्ध है। स्कीमों की संख्या कम करके और अधिकार आधारित स्कीम को वर्तमान रूप में कायम रखते हुए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की सहभाजन पद्धति को अंतिम रूप दिया गया है। भारत सरकार ने राज्यों को अपनी-अपनी योजना बनाने के लिए अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य को अधिक राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करते हुए कर अंतरण को 32% से बढ़ा कर 42% करने की चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली। राज्यों को अधिक अंतरण के कारण वर्ष 2015-16 में केन्द्र के पास उपलब्ध कम राजकोषीय गुंजाइश को देखते हुए वर्ष 2015-16 ब. प्रा. में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता वर्ष 2014-15 (सं.प्रा.) में 2.56 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले में 1.80 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। अतः चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें प्रगामी रूप से लागू की जाएंगी क्योंकि क्रमिक कर अंतरण में वृद्धि होगी और विवेकाधीन एवं अल्प प्रगतिशील योजना अंतरणों में कमी आएगी। कर अंतरण तंत्र के माध्यम से अधिकांश संसाधनों के हस्तांतरण के साथ, संशोधित अधिदेश के तहत संसाधनों के आबंटन में नीति आयोग की भूमिका कम होगी।		
4	04	वित्त मंत्रालय की मांग सं. 37 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण से संबंधित है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बताया कि मंत्रालय इस मांग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 तक निधियां जारी कर रहा है, जिसमें योजनागत तथा गैर-योजनागत दोनों श्रेणियों के अंतर्गत निधियां जारी किया जाना शामिल है। योजनागत अनुदानों में ब्लाक अनुदान शामिल है, जिसमें सामान्य केन्द्रीय सहायता	14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 7.2 में राज्यों के राजस्व एवं व्यय का मूल्यांकन करते समय बताया है कि उन्होंने योजनागत और गैर-योजनागत के बीच कोई भेदभाव किए बगैर विभिन्न सेवाओं से संबंधित राजस्व एवं व्यय के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और उन्होंने इस प्रयोजनार्थ व्यय के लिए आधार वर्ष के रूप में 2012-13 का पुनः मूल्यांकन किया है और 2012-13 के वास्तविक व्यय की तुलना में 2004-05 से 2012-13 के दौरान देखी गई व्यय की बढ़ती दर की प्रवृति को लागू करके 2013-14 और 2014-15 के व्यय का अनुमान लगाया	स्वीकृत	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		(एनसीए), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान (बीआरजीएफ) योजना (राज्य घटक), बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए), विशेष योजना सहायता (एसपीए) आदि आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत इसकी पंचाट अवधि के लिए गैर-योजनागत अवधि के लिए गैर-योजनागत अनुदान प्रदान किया जाता है जैसा कि वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई है तथा वे प्रभारित व्यय हैं। यह गैर-योजनागत अनुदान गैर-योजनागत राजस्व घाटा, प्रारंभिक शिक्षा, पर्यावरण, बेहतर नतीजों, सड़कों तथा पुलों का अनुरक्षण, स्थानीय निकाय, आपदा राहत तथा राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए हैं। तथापि, समिति यह नोट करती है कि उपरोक्त सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) अब तक गडगिल-मुखर्जी फार्मूला के अंतर्गत एक मुक्त सहायता के रूप में राज्यों को पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार प्रदान की गई थी तथा वर्ष 2014-15 में जिसका बजट अनुमान 28,514 करोड़ रुपए था। समिति अब यह जानकर आश्चर्यचकित है कि वर्तमान बजट में, एनसीए के अंतर्गत कोई आबंटन नहीं किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार करों के मुक्त अंतरण के उच्च हस्तांतरण से "एनसीए के अंतर्गत कोई आबंटन नहीं, का प्रयोजन सिद्ध किया जाएगा। वास्तव में, समिति नोट करती है कि राज्यों को सभी मुक्त ब्लॉक अनुदानों का "करों के उच्चतर अंतरण" में समावेशन कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप कई योजनाएं बंद हो गई हैं जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के लिए एससीए, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	है। 14वें वित्त आयोग ने यही प्रक्रिया सभी राज्यों पर समान रूप से लागू की है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के राजस्व एवं व्यय का मूल्यांकन करते समय सभी राज्यों की व्यय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है जिससे यह ज्ञात होता है कि केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 14वें वित्त आयोग द्वारा व्यय आवश्यकताओं और राजस्व का मूल्यांकन करते समय, लागत असमर्थताओं सहित राजकोषीय क्षमता एवं व्यय आवश्यकता के संबंध में राज्यों के बीच भिन्नता को भी ध्यान में रखा गया है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का पैरा 7.12 इस प्रकार हैः *"राज्यों के व्ययों और राजस्वों का मूल्यांकन वास्तविक एवं मापदंडीय व्यय जरूरतों के आधार पर किया गया है। व्यय जरूरतों का मूल्यांकन करते समय, हमने राजकोषीय क्षमता और व्यय की जरूरतों के साथ लागत असमर्थताओं के संबंध में राज्यों के बीच भिन्नता को ध्यान में रखा है।"* चूंकि योजनागत एवं गैर-योजनागत सहित राज्यों की राजस्व व्यय आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया है और विभाज्य पूल में हिस्से का निर्धारण करते समय 14वें वित्त आयोग ने इसे ध्यान में रखा है, सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता अथवा विशेष योजना सहायता के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, उच्चतर कर अंतरण जिसे 32% से बढ़ा कर 42% कर दिया गया है, में सम्मिलित हो गई है। नीति आयोग के परामर्श से अब भारत सरकार ने प्रतिबद्ध देयताओं एवं आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के रूप में मांग सं. 37 के तहत ब. प्रा. 2015-16 में प्रदान की गई विशेष सहायता का आबंटन अनुमोदित किया है जिसमें बीआरजीएफ-राज्य घटक (ओडिशा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट जिले, बिहार के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड पैकेज सहित) उत्तराखंड मध्यम एवं दीर्घावधि पुनर्निर्माण पैकेज 2013 और जम्मू और कश्मीर के लिए पीएमआरपी 2004 एवं बाढ़ पुनर्वास योजना 2014 के लिए 4950 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध एवं आवश्यकता आधारित देयताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित सहायता का एक घटक		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		(डब्ल्यूजीडीपी), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), वामपंथी चरमपंथी प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एलडब्ल्यूई के लिए एसीई), ब्लॉक अनुदानों के अंतर्गत केवल बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एसीए के अंतर्गत सहायता जारी है। समिति का यह मत है कि इस प्रकार की विशिष्ट योजनाएं जो पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों/ऐसे अंचलों, जहां बेहद गरीबी है, में जीवन स्तर के उत्थान के विशिष्ट प्रयोजन/ लक्ष्य से बनाई गई थीं, का इस प्रकार का समावेशन उचित नहीं है। इसलिए, इस प्रकार के क्षेत्रों में जो सामाजिक-आर्थिक सूचकांक में काफी पीछे हैं तथा जो वामदल चरमपंथी प्रभावित जिलों के मामले में असामान्य चुनौतियों का सामना भी कर रहे है, सामाजिक तथा आर्थिक विकास लाने के लिए केन्द्रीय बजटीय सहायता तथा एससीए के सहारे की अभी भी आवश्यकता है।	'संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों के लिए एक बारगी सहायता' हेतु 1000 करोड़ रु. है जिसका ऐसे क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत सम्मिलित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव किया गया है जिन्हें 14वें वित्त आयोग के सोच-विचार से अलग रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अंतरण फार्मूला में शामिल किए जाने अथवा अनुदानों के निर्धारण में अंतर-राज्यीय गैर-बराबरी रखे जाने के राज्यों के अनुरोध पर 14वें वित्त आयोग का मत है कि अंतर-राज्यीय गैर-बराबरी राज्यों के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में है और कर अंतरण के माध्यम से उपयुक्त संसाधनों का प्रावधान किए जाने से उन्हें अंतर-राज्यीय गैर-बराबरी का कारगर हल निकालने में सहायता मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने भी, अपनी एटीआर में राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 42% किए जाने की 14वें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार करते हुए कहा है कि उच्चतर कर अंतरण से राज्यों को अपनी जरूरतों तथा आवश्यकताओं के अनुसार स्कीमों के वित्तपोषण तथा उन्हें तैयार करने में अधिकाधिक स्वायत्तता मिलेगी और आशा है कि राज्य, उत्पादक पूंजी का सृजन करने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि 42% की दर से केन्द्रीय करों के उच्चतर अंतरण के पश्चात् राज्यों को ब्लॉक अनुदानों के रूप में सहायता जारी रखने के लिए केन्द्र सरकार के पास पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश नहीं बची है। विद्यमान पद्धति के अनुसार केंद्रीय प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि की कमी भी देखी गई है।		
5	05	इस संदर्भ में, समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुबद्ध क्षेत्रीय परिषद को निधि आबंटन करना पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों के विकास के मुद्दे से अलग है, जिन्हें समाप्त अथवा समावेशित कर दिया गया है। समिति चाहती है कि सांविधिक आवश्यकताओं को देखते हुए, केन्द्र, राज्यों और क्षेत्रीय विकास परिषदों जैसे	14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.30 में अंतरण फार्मूला में अथवा अनुदानों के निर्धारण में एक कारक के तौर पर अंतर-राज्य विसंगता बरतने के राज्यों के अनुरोध पर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि अंतर-राज्य विसंगता राज्यों के नीतिगत अधिकार-क्षेत्र में है और करों के अंतरण के जरिए संसाधनों के पर्याप्त प्रावधान से वे अंतर-राज्य विषमताओं को एक प्रभावी रूप से दूर कर सकेंगे। चूंकि, योजना और गैर-योजना के साथ-साथ राज्यों के राजस्व व्यय आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया है और विभाज्य पूल में हिस्से का निर्धारण करते	स्वीकृत	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) (जिसने 2011 से दार्जिलिंग गोरखा पर्वत परिषद को प्रतिस्थापित किया है), बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, ओडिशा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट (केबीके) क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हेतु बुंदेलखंड पैकेज आदि के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते में परिकल्पित संसाधनों का अंतरण सुरक्षित रखा जाए और एक पृथक व्यवस्था के रूप में जारी रहे, जिसे इन उपेक्षित क्षेत्रों/प्रदेशों में अत्यन्त गरीबी के उन्मूलन हेतु ब्लॉक अनुदान के तहत समावेशित नहीं किया गया है। तदनुसार बजट में यह स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए समिति एक बार पुनः इस बात पर बल देती है कि योजना आबंटन के रूप में राज्यों को निधियों के अंतरण के विशिष्ट तंत्र को जो समय के साथ विकसित हुआ है को सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा इसे वित्त आयोग पंचाट के अंतर्गत अंतरण से अलग रखा जाना चाहिए, जो अपनी प्रकृति के अनुसार निधि आबंटन/संसाधन अंतरण में पुनः वितरण के पहलू का समाधान नहीं कर सकता है। इस संबंध में, समिति यह चाहती है कि राज्यों के पिछड़ापन (राज्यों का समग्र विकास सूचकांक बनाने संबंधी समिति) संबंधी रघुराम राजन की सिफारिशों पर विचार किया जाए और उन्हें उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाए।	समय 14वें वित्त आयोग ने इसे ध्यान में रखा है, एनसीए,एससीए,एसपीए आदि के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, उस कर अंतरण में समाहित हो गई है जिसे 32% से बढ़ा कर 42% कर दिया गया है,। तथापि संघ सरकार को केन्द्र, राज्य और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जिसने 2011 से दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद का स्थान लिया है), बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, ओडिशा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए बुंदेलखंड पैकेज आदि जैसी क्षेत्रीय विकास परिषदों के बीच त्रिपक्षीय समझौतों में परिकल्पित संसाधनों का अंतरण बनाए रखा और एक अलग समझौते के रूप में जारी रखा जाना चाहिए, भारत सरकार ऐसी विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं के प्रति सजग है जो कुछ योजना स्कीमों के बंद हो जाने के कारण पिछड़ सकती हैं। अतः 2015-16 (ब. प्रा.) के दौरान वित्त मंत्रालय की मांग संख्या 37 के तहत प्रदान की गई विशेष सहायता के लिए 19,700 करोड़ रु. का कुल आबंटन अनुमोदित किया गया है। इसमें बीआरजीएफ-राज्य घटक (ओडिशा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट जिले, बिहार के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड पैकेज सहित) उत्तराखंड मध्यम एवं दीर्घावधि पुनर्निर्माण पैकेज 2013 और जम्मू और कश्मीर के लिए पीएमआरपी 2004 एवं बाढ़ पुनर्वास योजना 2014 के लिए 4,950 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित सहायता का एक घटक 'संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों के लिए एक बारगी सहायता' हेतु 1,000 करोड़ रु. है जिसका ऐसे क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत सम्मिलित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव किया गया है जिन्हें 14वें वित्त आयोग के सोच-विचार से अलग रखा गया है। इस प्रकार, पिछड़े तथा अल्प विकसित क्षेत्रों में जीवन स्तर ऊपर उठाने के विशेष प्रयोजन से तैयार की गई स्कीमें एक-मुश्त सहायता प्रदान करके वर्ष 2015-16 में भी जारी रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 42% की दर से राज्यों को करों के उच्चतर अंतरण से राज्यों को अंतर-राज्यीय विकास अंतर को पूरा करने एवं गरीबी उन्मूलन की अपेक्षाओं के साथ-		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			साथ स्थानीय जरूरतों एवं आकांक्षाओं के अनुकूल स्कीमें/ कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन मिलेगा। राज्य सरकारों से नीति आयोग के माध्यम से परियोजना-वार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। नीति आयोग उन परियोजनाओं की जांच और सिफारिश करेगा जिनके लिए धनराशि जारी की जानी है। यह धनराशि, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तों को पूरा करने वाले विभिन्न राज्यों को जारी की जानी है।		
6	06	समिति को यह सूचित किया गया है कि चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय विभाजन योग्य पूल में राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 32% से 42% कर दिया है, जिसे सीधे कर अंतरण (वर्टिकल टैक्स डिवॉल्यूशन) में अभी तक की सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी कहा गया है। यह बताया गया है कि केवल वर्ष 2015-16 के दौरान वर्ष 2014-15 की तुलना में राज्यों को अंतरण में लगभग 2.1 लाख करोड़ की बढ़ोत्तरी (टैक्स अंतरण तथा अनुदान दोनों से) का अनुमान है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सभी राज्यों को निधियों के इस अंतरण से वास्तव में लाभ होता है तथा इसलिए वे बढ़े हुए अंतरण से विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। समिति का यह मानना है कि अंतर-राज्यीय असमानता तथा अंतर-राज्यीय विसंगतियों का जिसमें असमान संसाधन-आधार तथा विकास शामिल हैं, का समाधान चालू वर्ष के बजट में संसाधन अंतरण की विधि से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रथम दृष्ट्या, संबंधित राज्यों द्वारा निधियों की उपयोगिता अपनी प्राथमिकताओं तथा अपनाने की क्षमता पर आधारित होती है न कि इन अनुदानों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रयोजनाओं पर। इससे स्वतः यह शंका उत्पन्न होती है कि अब	चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा वर्तमान 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है, जो प्रत्यक्ष कर अंतरण में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से के वितरण के लिए एक नए क्षैतिज फार्मूले का भी प्रस्ताव किया है। तेरहवें वित्त आयोग के अनुरूप, चौदहवें वित्त आयोग ने दो नए परिवर्तनशील कारक सम्मिलित किए हैं: 2011 की जनसंख्या और वन क्षेत्र। चौदहवें वित्त आयोग के अंतरण से कुल मिलाकर सभी राज्यों को लाभ होगा। कुछ राज्यों को विभाज्य पूल में वृद्धि से लाभ होगा जबकि विशाल वन क्षेत्र वाले कुछ राज्यों को अंतरण फार्मूला में वन क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने के कारण अधिक कर अंतरण प्राप्त होने की संभावना है। राज्यों के हिस्से का निर्धारण करते समय चौदहवें वित्त आयोग द्वारा असमान संसाधन आधार और विकास सहित अंतर-राज्यीय असमानता के साथ-साथ अंतर-राज्यीय विषमता के कारण राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। अधिक अंतरण के परिणामस्वरूप केन्द्र की वित्तीय गुंजाइश कम हो गई है। राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट हस्तक्षेप करने के लिए बजट प्राक्कलन 2015-16 में एसएसए, मनरेगा, सड़क क्षेत्र, जनजातीय उपयोजना आदि जैसी अधिकार आधारित/उपकर समर्थित स्कीमों के तहत आबंटन को लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर ही रखते हुए राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 2014-15 (सं.प्रा.) में 2.56 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 1.80 लाख करोड़ रुपए रखी गई है।	स्वीकृत	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के संबंध में इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त हो पाएंगे, जो कि केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकता है। इसलिए समिति वित्त मंत्रालय से यह अपेक्षा करती है कि इन शंकाओं का समुचित समाधान करे।	केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, जो राष्ट्रीय विकास कार्यसूची का हिस्सा हैं, के तहत 17 प्रमुख स्कीमों की सहभाजन पद्धति को केन्द्र एवं राज्यों के बीच (8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) 60:40 की सहभाजन पद्धति के साथ कायम रखा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों, अल्प संख्यकों, पिछड़े वर्गों और कमजोर समूहों के विकास की स्कीमों नामतः मनरेगा, एनएसएपी, व्यापक कार्यक्रमों की वित्तपोषण पद्धति अपरिवर्तित रहेगी। सभी अन्य स्कीमें राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक होंगी और उनकी वित्त सहभाजन पद्धति केन्द्र एवं राज्यों के बीच (8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 80:20) 50:50 होगी। इस प्रकार, केन्द्र सरकार ने सामाजिक -आर्थिक मानदंडों के संबंध में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कतिपय प्रमुख कार्यक्रमों की आवश्यकता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उपेक्षित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए स्कीमों को कायम रखा है। राज्यों की लम्बे समय से यह मांग रही है कि "एक आकार सभी के लिए उपयुक्त" का दृष्टिकोण छोड़ा जाए और केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत स्कीम आधारित आबंटन प्राप्त करने के बजाय उनकी जरूरतों एवं अपेक्षाओं के अनुसार उनकी योजनाएं तैयार की जाएं। अधिक कर अंतरण के जरिए असंबद्ध निधि के रूप में राज्यों को अधिक संसाधनों के अंतरण से राज्य जिनमें जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार उपेक्षित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक मापदण्डों पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिभा के अनुसार स्कीमें या कार्यक्रम बना सकेंगे और लागू कर सकेंगे।		
7	07	एक और प्रासंगिक मुद्दा, जिसने समिति का ध्यान आकर्षित किया है, भारतीय लोक लेखा में निधियों के अंतरण से संबंधित है, जिसमें कार्पस निधि में उपलब्ध शेष राशि वित्तीय वर्ष के समापन पर व्यपगत नहीं होती है। इस संबंध में, समिति यह नोट करती है कि संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार, लोक लेखा में पावतियों तथा इसमें से संवितरण संसद द्वारा अनुमोदन का विषय नहीं हैं।	भारत के लोक लेखा में रखी गई और काम में लाई अधिकतर निधियो संसद द्वारा पारित अधिनियमों में किए गए उपबंधों पर आधारित होती है। इस प्रकार लोक लेखा के जरिए निधि के प्रचालन का टाला नहीं जा सकता। इसके अलावा उपकर, कर अंशदान, आदि के रूप में समर्पित प्राप्तियों को उन्हीं प्रयोजनों के लिए रखा जाता है जिसके लिए उन्हें संग्रहीत तथा एकत्रित किया जाता है। ये सरकार की सामान्य स्कीमों पर खर्च किए जाने के लिए साधारणतया उपलब्ध नहीं होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि गैर-व्यपगतनीयता का संरक्षण करने के प्रयोजन से निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसी निधियों से	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		मंत्रालय के विवरण के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत निधियां सामान्यतः चुंगी, प्रशुल्क, वार्षिक अंशदान, शुल्क आदि के रूप में समर्पित प्राप्तियों के साथ निधियों के प्रवाह को विनियमित करने के लिए सृजित की जाती हैं और लाभ को संविधि या नियमों में यथा निर्धारित विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, निधियां जैसे कि केंद्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि, गारंटी मोचन निधि आदि को विनिर्दिष्ट प्राप्तियों द्वारा सहयोग दिया जाता है अथवा सरकार से वार्षिक अंशदान के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। मंत्रालय ने समिति की इस आशंका का निराकरण कर दिया है। चूंकि इन विधियों की राशि का उपयोग सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, इसलिए ये संसदीय संवीक्षा के अधीन हैं और यह कि इन निधियों से किया गया व्यय भारत की समेकित निधि के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए अनुदानों की मांगों और विनियोजन विधेयक के माध्यम से विनयोजन मांगा जाता है। समिति नोट करती है कि लोक लेखा में निधियों की अव्यपगतता वस्तुतः सरकार को विशेष लाभ देती है, क्योंकि प्रतिवर्ष बजट अनुमान के माध्यम से नए मूल्यांकन के साथ-साथ व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तथापि, सर्वप्रथम जिस तर्क के साथ संविधान में लोक लेखा की व्यवस्था की गई है उसका अनुपालन किया जाए और केवल गैर-व्यपगतता को बचाने के लिए इस लेखा में बिना सोचे समझे निधियों के हस्तांतरण का सहारा नहीं लिया जाए, क्योंकि इससे जबरदस्ती संसदीय संवीक्षा में फंसने की संभावना और बजटीय प्रक्रियाओं की भूल-चुक हो सकती है।	वित्तपोषित सभी स्कीमें स्थायी स्वरूप की स्कीमें होती हैं और वित्तीय नियमों में दी गई मानक प्रक्रिया के अनुसार इन स्कीमों का कार्यान्वयन शुरू करने के पहले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मूल्यांकन, अनुमोदन और उन पर वित्तीय परिव्ययों का निर्णय किया जाता है। बजट कवायद के भाग के रूप में सुस्पष्ट राजकोषीय प्रबंध कवायद पर विचार करते समय, भारत के लोक लेखा में प्रयोग न की गई निधियों को रखने के लिए थोड़ी गुंजाइश छोड़ते हुए, निधियों को कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को केवल एक वित्त वर्ष में खर्च/ उपयोग की जा सकने वाली क्षमता तक उपलब्ध कराया जाता है। भारत के लोक लेखा में आरक्षित निधियों/संचित निधियों से खर्च की गई धनराशि को भी भारत की संचित निधि के माध्यम से दिया जाता है ताकि वे संसद की जांच और अनुमोदन के अध्यधीन बनी रहें।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
8	08	समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2015-16 में फसल ऋण हेतु ब्याज सहायता के लिए 13,000 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है। तथापि, मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया है कि वर्ष 2014-15 हेतु ब्याज सहायता के वित्तीय प्रभाव के आकलन के अनुसार, वर्ष 2013-14 में 15,649 करोड़ रुपए की तुलना में फसल कटाई के पश्चात् भंडारण सहित कुल सहायता 18,904 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया है कि फसल प्रतिमान के मौसमी स्वरूप के कारण, एक वित्तीय वर्ष में दिए गए अल्पावधिक फसल ऋणों हेतु सहायता दावे उत्तरोत्तर वित्तीय वर्षों में बढ़ते जाते हैं। तदनुसार, 2015-16 हेतु बजट प्रावधान को वर्ष 2012 से 2014 की अवधि के दौरान किए गए दावों के साथ-साथ 2015-16 के दौरान यदि कोई दावे किए गए हैं तो इनकी प्रतिपूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा। जब समिति ने इस शीर्ष के अंतर्गत कम उपयोग की सीमा का उल्लेख किया, विशेषकर तब जब बेमौसम वर्षा के कहर से मध्य और उत्तर भारत में फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है, मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि इस शीर्ष के अंतर्गत लगभग 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होगी, जो वास्तव में प्राप्त किए गए दावों पर निर्भर करेगा। अतः समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि इस शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त अतिरिक्त आबंटन किए जाएं जिससे कि प्रकृति के प्रकोप के सामने किसानों की समुचित रूप से सुरक्षा की जा सके विशेष रूप से तब जबकि इस वर्ष प्रकृति कृषक समुदाय के प्रति बहुत कठोर रही है।	ब्याज सहायता योजना 2015-16 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 21.07.2015 को अनुमोदित किया गया था और इसे सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध भी शामिल है कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों को पुनर्संरचित राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 2% की ब्याज सहायता जारी रहेगी। इसके अलावा, छोटे तथा सीमांत किसानों को दिए जाने वाले लक्षित उधार में सुधार लाने के लिए व्यवहार्य उपायों/विकल्पों का सुझाव देने तथा ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीमित बजटीय संसाधनों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से कृषि मंत्रालय के तत्वावधान के तहत एक समिति गठित की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान, अभी तक वर्ष 2015-16 के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन में से पिछले वर्षों के संबंध में बैंकों के ब्याज सहायता दावों के निपटान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को कुल 12,405.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, ब्याज सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान में 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया है, इससे वर्तमान वर्ष में कुल प्रस्तावित आवंटन 18,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा, ब्याज सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।	बजट प्रभाग द्वारा अनुपूरक अनुदान को अंतिम रूप देते समय इस संबंध में निर्णय लिया जाना है।	छोटे तथा सीमांत किसानों को दिए जाने वाले लक्षित उधार में सुधार लाने के लिए व्यवहार्य उपायों/ विकल्पों का सुझाव देने तथा ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीमित बजटीय संसाधनों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से कृषि मंत्रालय के तत्वावधान में एक समिति गठित की गई है।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
					सरकार वर्ष 2016-17 की योजना के संबंध में उक्त समिति की सिफारिशों पर विचार कर सकती है।
9	09	इस संदर्भ में, समिति लाचार किसानों के लिए उपलब्ध नितांत रूप से अपर्याप्त फसल बीमा प्रणाली की अंतर्निहित समस्याओं पर भी प्रकाश डालना चाहती है। विद्यमान मौसम और फसल आधारित प्रणाली केवल क्षेत्र को शामिल करती है किसी व्यक्ति को इकाई के रूप में नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दृष्टिकोण वास्तविक रूप में जिस प्रकार फसलों की क्षति होती है उसे नहीं दर्शाता और न ही इसका समाधान करता है। समिति महसूस करती है कि यदि फसल बीमा उत्पादों को जोखिमों के दायरे को शामिल करने के साथ-साथ प्रत्येक किसान तक पहुंच बनाने के लिए तैयार किया जाए, इससे अपरिहार्य रूप से बीमा प्रीमियम बढ़ जाएगा, फसल बीमा को व्यवहार्य प्रस्ताव बनाते हुए समुचित रूप से विभाजित करना होगा और इस पर राजसहायता देनी होगी। यह भी आवश्यक है कि बड़ी संख्या में देश के छोटे और सीमांत किसान, जो वित्तीय रूप से बहिष्कृत हैं, इनको बीमा क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए, जिससे निस्संदेह सभी संबंधित लोगों के लिए लागत कम होगी। ऐसे व्यापक बीमा कवरेज को सूक्ष्म-वित्त और स्वसहायता समूहों (एसएचजी) के नेटवर्क	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने किसानों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: • इरडाई ने सूक्ष्म बीमा विनियम तैयार किया है, जिनमें बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए प्लेटफार्म, कवर करने के निर्धारित स्तर, प्रीमियम तथा लाभ मानकों की व्यवस्था की गई है, जो ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के लिए वहनीय है। इन विनियमों में सूक्ष्म बीमा उत्पादों के विपणन में बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), आरबीआई द्वारा विनियमित एनबीएफसी, प्राथमिक कृषि सोसाइटियों, शहरी सहकारी बैंकों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) आदि को अनुमति दी गई है। ये सूक्ष्म बीमा एजेंट सूक्ष्म फसल बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के साथ भी कार्य कर सकते हैं। इन नए वितरण चैनलों से निश्चित रूप से जनसंख्या के गरीब तथा वंचित वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। • बीमा कंपनियों को कम प्रीमियम तथा कम कवरेज वाले उत्पाद तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कम आय वाले लोगों, जो पारंपरिक प्लान का वहन नहीं कर सकते अथवा वहां तक उनकी पहुँच नहीं है, की बीमा आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इस समय हमारे अभिलेख के	अस्वीकृत	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने भारतीय कृषि बीमा योजना (बीकेबीवाई) के संबंध में मंत्रिमंडल टिप्पणी और किसनों को समाजिक सुरक्षा के अलावा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रायोगिक एकीकृत बीमा योजना पैकेज

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		को सामाजिक सुरक्षा सहित पूर्णतया वित्तीय संरक्षण प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त त्रुटि रहित तंत्र/योजना की व्यवस्था की जाए।	अनुसार, एआईसीआईएल और अन्य साधारण बीमा कंपनियों द्वारा 50 फसल बीमा उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। • इरडाई ने आईआरडीएआई (ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व, 2002) के द्वारा विनियामकीय संरचना तैयार की है ताकि देश में बीमा कवरेज का संतुलित तथा त्वरित विस्तार सुनिश्चित हो। हाल ही में, इरडाई ने बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 32ख में किए गए संशोधनों के अनुसरण में एक प्रारूप विनियम - आईआरडीएआई (ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) विनियम, 2015 तैयार किया है। इन विनियमों में बीमाकर्ताओं पर ग्रामीण तथा जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कवर करने के लिए बीमा उपलब्ध कराने का दायित्व अधिरोपित किया गया है। इस विनियम में बीमाकर्ताओं को निश्चित प्रतिशतता में पॉलिसियां बेचने और जीवन तथा गैर-जीवन बीमा कंपनियों के संबंध में निर्दिष्ट सकल प्रीमियम की प्रतिशतता की हामीदारी का उल्लेख करने का अधिदेश दिया गया है। उपर्युक्त उपबंध का पालन न करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कठोर दण्ड भी निर्धारित किए गए हैं। • फसल बीमा दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए इरडाई रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी वाले सेटेलाइट का प्रयोग जोखिम का आंकलन करने तथा फसल क्षति संबंधी बीमा का निपटान करने के लिए प्रभावी तथा विश्वसनीय मैपिंग टूल के रूप में करने पर विचार कर रहा है। इरडाई ने इस संबंध में विभिन्न भागीदारों के साथ कई बैठकें की हैं। इस संबंध में पूरे देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास से संबद्ध संस्थाओं द्वारा कई अनुसंधान अध्ययन तथा प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से फसल क्षति का त्वरित आंकलन तथा निपटान निश्चित रूप से सुनिश्चित होगा। • फसल बीमा क्षेत्र में बीमा के कम विस्तार का मुख्य कारण बीमा उत्पादों तथा विभिन्न बीमा पॉलिसियों के बारे में जागरूकता का अभाव है। इरडाई, बीमा क्षेत्र विनियामक के रूप में बीमा शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है ताकि लोगों की वित्तीय जानकारी में सुधार हो सके।		(यूपीआईएस) तैयार किया है।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. (एआईसीआईएल) इस समय केवल फसल बीमा व्यावसाय कर रही है। किसानों के संबंध में विभिन्न जोखिमों, जैसे कृषि औजार, व्यक्तिगत दुर्घटना, पशुधन आदि को कवर करने वाली अन्य पॉलिसियां अन्य साधारण बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई मौजूदा फसल बीमा योजनाएं क्षेत्रीय पद्धति पर आधारित योजनाएं हैं, जिनमें अपरिहार्य जोखिमों, जिसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, के प्रति किसानों के फसल को कवर करता है। किसानों की भूधारिता को एक इकाई के रूप में फसल बीमा योजना का परिचालन या प्रत्येक किसान के वैकल्पिक जोखिम के अनुरूप उत्पाद तैयार किया जाना निम्नलिखित कारणों से व्यवहार्य नहीं है: i. छोटे आकार के खेतों की बड़ी संख्या और इसकी तुलना में ऐसे भूमि जोतों के लिए छोटी बीमा, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण कार्य है। ii. खेत के उत्पाद के पुराने अभिलेख का उपलब्ध न होना। iii. खेतों का दूर तथा दुर्गम स्थानों में स्थित होना। iv. उत्पाद/हानि का आंकलन करने के लिए अवसंरचना तथा श्रम के सृजन के संबंध में भारी निवेश की आवश्यकता। v व्यापक आपदा, जैसे बाढ़, ओलावृष्टि आदि, से प्रभावित बड़ी संख्या में खेतों का आंकलन एक साथ करना कठिन है। vi. परिचालन की उच्च लागत प्रीमियम की दर को बढ़ा देगी, जिसके लिए यदि सब्सिडी नहीं दी जाती है तो यह किसानों के लिए अवहनीय हो सकता है। एनएआईएस, एमएनएआईएस और डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत शामिल छोटे तथा सीमांत किसान कुल बीमित किसान का 63% हैं। ये योजनाएं ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है और ऋण न लेने वाले किसानों के लिए वैकल्पिक है। इस प्रकार, निर्दिष्ट फसल उगाने के लिए लघु अवधि कृषि ऋण लेने वाले छोटे तथा सीमांत किसान को बैंकिंग नेटवर्क के जरिए कवर किया जा सकता है। वे किसान जो फसल ऋण नहीं लेते हैं, उन्हें गैर-ऋणी किसान के रूप में फसल बीमा योजनाओं में भाग लेने का विकल्प होता है।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
10	10	समिति नोट करती है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत 10 करोड़ खाते खोलने के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में, दिनांक 28 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, 13.68 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 8.16 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 5.52 करोड़ शहरी क्षेत्रों में हैं। तथापि, यह चिंता का विषय है कि कुल 13.68 करोड़ खातों में से, अधिकतम 8.59 करोड़ (अर्थात् 62.79 प्रतिशत) खातों में 'शेष राशि शून्य' है। हालांकि, इन खातों के माध्यम से 12,693.87 करोड़ रुपए की जमा राशि जुटाई गई है। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय शेष शून्य राशि वाले खातों के प्रचालन में प्रगति की निरंतर निगरानी करे। इस प्रयोजनार्थ, जैसा कि मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के साथ-साथ मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत मजदूरी/पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाता-धारको हेतु लाभ/भुगतान को प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातों में जमा किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार अपेक्षित लाभार्थियों के लिए अभिसरण बिन्दु होगा और उन्हें एक बैंक अथवा डाकघर के साथ अपना खाता चलाने में सहायता करेगा और इस प्रकार उनकी आजीविका का निर्वहन करेगा।	योजना के उपबंधों के अनुसार, वैसे किसान जो निर्दिष्ट फसल उगाने के लिए मौसमी कृषि कार्य ऋण (एसएओ) लेते हैं, उन्हें ऋणी किसान के रूप में कवर किया जाता है। यदि सूक्ष्म वित्त निर्दिष्ट फसल के लिए लिया जाता है, तो यह फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत, दिनांक 02.12.2015 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों के द्वारा 19.41 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 11.82 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 7.59 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में हैं। 27283.06 करोड़ रुपए की जमा राशि एकत्र की गई है। 16.61 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। दिनांक 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में शून्य शेष राशि वाले खातों की प्रतिशतता 67.30 थी। तथापि, बैंकों द्वारा इस संबंध में निरंतर कार्रवाई किए जाने के कारण शून्य शेष राशि वाले खातों की संख्या दिनांक 02.12.2015 की स्थिति के अनुसार कम होकर 34.31% हो गई है। इसके अलावा, इन खातों को परिचालनरत और कार्यरत बनाने के लिए पीएमजेडीवाई में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं जिनमें एलपीजी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) के अंतर्गत लाभ अंतरित किए जाने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों से भी पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए लाभार्थियों के खातों के जरिए लाभ अंतरित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) को भी 300 जिलों में कार्यान्वित किया गया है और मनरेगा के अंतर्गत सभी मजदूरी का भुगतान इन खातों के जरिए किया जाता है। केंद्रीय बजट 2015-16 में दो बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और एक पेंशन योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा की गई थी, जिनका प्रीमियम/अंशदान बैंक खाते में उपलब्ध	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			शेष राशि से डेबिट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इन तीनों योजनाओं का औपचारिक शुभारंभ दिनांक 09.05.2015 को किया गया है। ये समाजिक सुरक्षा योजनाएं अपने ग्राहकों को अपने बैंक खाते कार्यरत रखने के लिए प्रेरित करेंगी।		
11	11	पीएमजेडीवाई खातों का परिचालन और वित्तीय समावेशन के अंतिम कार्यान्वयन को व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) और संबंधित मुद्दों जैसे पारिश्रमिक, तकनीकी सहायता प्रोत्साहन आदि के सुदृढ़ीकरण द्वारा शीघ्र किया जाना चाहिए साथ ही, स्थायी शाखा के माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले बैंकों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और आवश्यक साजो-सामान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) शाखा रहित बैंकिंग के भाग हैं और उनकी तैनाती बैंकों द्वारा उन स्थानों पर की जाती है जहां बैंक शाखा खोलना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। व्यवसाय प्रतिनिधि निर्धारित स्थान/ऑनलाइन/अंतरपरिचालनीय होते हैं और इनके पास माइक्रो एटीएम की सुविधा होती है और इनके जरिए दैनिक बैंकिंग लेन-देन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत पूरे देश को ग्रामीण क्षेत्रों में उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) में और शहरी क्षेत्रों में बार्डों में अभिचिह्नित किया गया है। ऐसे सभी एसएसए को स्थायी शाखा या बीसी के जरिए बैंकिंग सुविधाएं दी जाती हैं। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा अन्य वाणिज्यिक/ सामाजिक मानदण्डों के अनुरूप अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते हैं और इन योजनाओं का कार्यान्वयन समुचित निगरानी के जरिए किया जाता है। व्यवसाय प्रतिनिधियों की राज्य-वार सूची निम्नानुसार हैः	स्वीकृत	

राज्य का नाम	04.12.2015 की स्थिति के अनुसार कार्य पर लगाए गए बीसी की संख्या
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28
आंध्रप्रदेश	6576
अरूणाचल प्रदेश	89
असम	3604
बिहार	10565
चंडीगढ़	5
छत्तीसगढ़	2341
दादरा एवं नगर हवेली	27

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)

राज्य का नाम	04.12.2015 की स्थिति के अनुसार कार्य पर लगाए गए बीसी की संख्या
दमन एवं दीव	5
गोवा	110
गुजरात	6039
हरियाणा	2099
हिमाचल प्रदेश	1492
जम्मू और कश्मीर	899
झारखण्ड	3310
कर्नाटक	5218
केरल	1486
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	10484
महाराष्ट्र	11947
मणिपुर	279
मेघालय	230
मिजोरम	49
नागालैण्ड	130
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3
ओडिशा	5088
पुदुचेरी	51
पंजाब	2478
सिक्किम	95
तमिलनाडु	8874
तेलंगाना	4030
त्रिपुरा	338
उत्तर प्रदेश	20652
उत्तराखण्ड	1437
पश्चिम बंगाल	8221
कुल	**126037**

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिश सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत</th><th>अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>बीसी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा डाक विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य पर लगाने की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया गया है जिससे बैंकिंग का और विस्तार करने में सहायता मिलेगी। विगत पांच वर्षों तथा दिनांक 30.06.2015 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखा की स्थिति निम्नानुसार हैः
<table>
<tr><th>की स्थिति के अनुसार</th><th>ग्रामीण</th><th>अर्द्ध-शहरी</th><th>शहरी</th><th>महानगर</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>31.03.2011</td><td>33986</td><td>23178</td><td>17781</td><td>16431</td><td>91376</td></tr>
<tr><td>31.03.2012</td><td>36623</td><td>25935</td><td>19041</td><td>17452</td><td>99051</td></tr>
<tr><td>31.03.2013</td><td>39917</td><td>28666</td><td>20100</td><td>18274</td><td>106957</td></tr>
<tr><td>31.03.2014</td><td>45402</td><td>31656</td><td>21706</td><td>19463</td><td>118227</td></tr>
<tr><td>31.03.2015</td><td>48727</td><td>33925</td><td>23222</td><td>20716</td><td>126590</td></tr>
<tr><td>30.06.2015</td><td>48872</td><td>33997</td><td>23157</td><td>20614</td><td>126640</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>12</td><td>समिति ने मंत्रालय का ध्यान भारतीय बैंक संघ, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट तथा भारतीय बैंकिंग में उत्पादकता संबंधी बोस्टन कंसल्टेंसी रिपोर्ट 2014 की ओर भी आकृष्ट किया था, जिसमें पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों से पूर्व 16 करोड़ नो फ्रिल्स खातों का उल्लेख किया गया था। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया था कि वह इसका अध्ययन करेगा। ऐसी संभावना है कि यदि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत इन खातों का कुछ उपयोग पाया गया होता तो इससे काफी प्रयासों और व्यय की बचत हो सकती थी। अतः मंत्रालय को पीएमजेडीवाई के लिए इस व्यापक पैमाने पर प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व इस रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए था।</td><td>पीएमजेडीवाई की संरचना में पीएमजेडीवाई से पहले के बड़ी संख्या में निष्क्रिय बीएसबीडी पर विचार किया गया था। इनमें से कई खातों का परिचालन बैंकों द्वारा ऑफ लाइन पद्धति में किया जाता है। पीएमजेडीवाई की संरचना की विशेषता बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान के संबंध में ऑनलाइन खाता का होना है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को किया गया था, इसका लक्ष्य अनुमानतः 7.50 करोड़ कवर न किए गए सभी परिवारों के खाते दिनांक 26.01.2015 तक खोलना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे देश को गांव में उप-सेवा क्षेत्र के रूप में तथा शहरों में बार्डों के रूप में 2,26,197 इकाइयों में अभिचिह्नित किया गया है। सर्वे किए गए 21.22 करोड़ परिवारों में से 99.99% परिवारों के बैंक खाते खोले गए हैं।
सर्वे के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता है या नहीं। यदि बैंक खाता नहीं पाया गया तो नए खाते खोले गए।</td><td>स्वीकृत</td><td></td></tr>
</table>

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
13	13	समिति नोट करती है कि चालू बजट में ऋण वसूली से संबंधित मामलों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विनियमन के साथ वित्तीय संस्थानों में समता लाने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव किया गया है कि आरबीआई में पंजीकृत और 500 करोड़ रुपए से अधिक परिसंपत्ति वाली एनबीएफसी को सरफासी अधिनियम, 2002 के अनुसार 'वित्तीय संस्थान' के तौर पर अधिसूचित करने पर विचार किया जाएगा। इस संदर्भ में, समिति नोट करती है कि ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के अंतर्गत परिकल्पित वर्तमान ऋण वसूली व्यवस्था को 10 लाख और अधिक की बकाया राशि के साथ गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में बैंकों को देय राशि की शीघ्र वसूली में बहुत प्रभावकारी नहीं पाया गया है। ऋण वसूली प्रक्रिया प्रभावी नहीं पायी गयी है। ऋण वसूली प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर, जिसमें डीआरटी के साथ ही जिला प्राधिकरण भी शामिल हैं, अत्यधिक विलंब होता है। यद्यपि मंत्रालय ने बताया है कि एनपीए के समाधान में कोई विधिक बाधा नहीं है, तथापि समिति के मुम्बई, बेंगलुरू और हैदराबाद के हाल के अध्ययन दौरे के दौरान विभिन्न बैंकरों द्वारा समिति के ध्यान में यह लाया गया है कि वर्तमान वसूली तंत्र और उपलब्ध प्रक्रियाओं को और संगत बनाने की आवश्यकता है ताकि बकायों को समयबद्ध तरीके से और ऐसे समय पर जब उनकी वसूली की जा सकती हो, वसूली की जा सके। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार को सामान्य रूप में सरफासी अधिनियम तथा विशेष रूप से डीआरटी की कार्य प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र	सरकार डीआरटी के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर करती है और डीआरटी में मामलों को निपटाने में लगने वाले समय को कम करने तथा डीआरटी के कार्य में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाएं हैं जैसे- i **ई-डीआरटी परियोजना का कार्यान्वयन** क. डीआरटी के लिए एक वेब पोर्टल (www.drt.gov.in) तैयार किया गया है, जो डीआरटी/डीआरएटी को मुकदमे की सूची, निर्णय तथा डीआरटी के संबंध में दैनिक आदेश को वेब पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड करने तथा अद्यतन करने में सक्षम बनाता है। यह वेब पोर्टल आम लोगों को भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के बारे में तथा ऋण वसूली अधिकरणों तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों के परिक्रियात्मक नियमों के बारे में सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ख- पुराने अभिलेखों की स्कैनिंग तथा डिजिटीकरण पहले से ही प्रगति में है। ग. ई-फाइलिंग- ऋण वसूली अधिकरणों तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों में ई-फाइलिंग प्रक्रिया विचाराधीन है। घ. दैनिक आधार पर सुचारू कार्य के लिए डीआरटी को बेहतर आईटी उपस्कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ii. नियमित आधार पर लोक अदालतें आयोजित करना- ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा नियमित आधार पर लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। iii. डीआरटी के अधिकार क्षेत्र को युक्ति संगत बनाना- मामले के निपटान में लगने वाले समय को कम करने के लिए डीआरटी के बीच मामलों के भार का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऋण वसूली अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारिता क्षेत्र को युक्ति संगत बनाया जा रहा है। iv. बेंगलुरू, चंडीगढ़, देहरादून, एर्नाकुलम, हैदराबाद और सिलिगुड़ी में छह नए डीआरटी की स्थापना- कुछेक पदों के लिए चयन पहले ही कर लिये गये हैं। शेष पदों के लिए रिक्ति परिपत्र जारी किए	स्वीकृत	कार्य चल रहा है।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		कानून अथवा कार्य पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए ताकि गतिरोध दूर किए जा सके और अत्यधिक वसूली के मामलों को एक निश्चित समय-सीमा में निपटाया जा सके।	गए हैं। डीआरटी के लिए कुछेक परिसरों के संबंध में निर्णय ले लिया गया है और शेष के संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी है।		
14	14	समिति नोट करती है कि आरबीआई में अनुरक्षित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि के कार्पस में लगभग 6,702.**02** करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं जिसमें बिना दावे की जमा की गई विभिन्न प्रकार की राशियां और बैंकों के पास कुछ अन्य बकाया राशियां हैं जिन्हें 10 वर्षों या अधिक समय से संचालित नहीं किया गया। इस प्रकार की बिना दावे की जमाओं/बकायों का वास्तविक आंकड़ा यदि हम 10 वर्षों से कम अवधि पर भी विचार करें तो और भी ऊपर जा सकता है। समिति को सूचित किया गया है कि इस निधि से वित्तीय सहायता देने के लिए पंजीकृत होने वाले संगठनों हेतु आरबीआई द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। चूंकि यह कार्पस काफी वृहद है अतः समिति चाहती है कि इस संबंध में निधियों के उपयोग के बारे में उसे अवगत कराया जाए। समिति इस बात पर भी बल देना चाहती है कि उपरोक्त निधि में जमा अथवा बकाया स्थानांतरित करने से पहले संबद्ध व्यक्ति/निकाय से संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के अंतरण के पश्चात् भी उसके/उत्तराधिकारी के दावे को बैंक द्वारा निर्बाध तरीके से निपटाया जाना चाहिए।	जमाकर्ता, शिक्षा तथा जागरूकता निधि का प्रयोग जमाकर्ताओं के हितों के संवर्द्धन तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार जमाकर्ताओं के हितों के संवर्द्धन के लिए अपेक्षित हो, के लिए किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु जमाकर्ता, जागरूकता तथा शिक्षा से संबंधित कार्यकलाप करने वाली संस्थाओं, संगठनों अथवा संघों, इनमें बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए कार्यक्रम के आयोजन का प्रस्ताव करने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं, को योजना के अंतर्गत आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर समय-समय पर पंजीकृत/स्वीकृत किया जाएगा। इस निधि का प्रयोग जमाकर्ताओं के लिए सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन करने तथा इन क्षेत्रों के संबंध में परियोजना तथा अनुसंधान कार्यकलाप आरंभ करने के लिए किया जाएगा। निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाओं, संगठनों तथा संघों को पंजीकृत करने संबंधी मानदण्ड के दिशानिर्देश 09 जनवरी, 2015 को जारी किए गए थे। प्रथम भाग में पंजीकरण हेतु 90 आवेदकों ने आवेदन किया है, जिनकी जांच की जा रही है। समिति द्वारा पात्र आवेदकों को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् उन्हें वित्तीय सहायता के लिए आरबीआई को निर्दिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी। निधि को संचालित करने के लिए गठित जमाकर्ता, जागरूकता निधि समिति ने यह निर्णय लिया है कि योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली कुल वित्तीय सहायता आरबीआई द्वारा निधि के निवेश से सृजित अतिरिक्त राशि, अर्थात् अदावाकृत जमा राशि, पर 4% की दर से ब्याज का भुगतान करने तथा निधि के परिचालन व्यय को पूरा करने के पश्चात् आरबीआई के पास बची शेष ब्याज आय से प्रदान की जाएगी। आरबीआई का यह मत रहा है कि केवल अदावाकृत जमा राशि या अन्य शेष राशि जिसके संबंध में बैंक 10 वर्षों से अधिक समय से जमाकर्ताओं	स्वीकृत	भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 अक्टूबर, 2015 को यह कहा है कि जमाकर्ता, शिक्षा तथा जागरूकता निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता, शिक्षा तथा जागरूकता निधि समिति (डीईएएफसी) द्वारा 20 संस्थाओं के नाम का अनुमोदन किया गया है। इन 20 संस्थाओं का चयन

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			से संपर्क नहीं कर पाया हो, की राशि ही निधि में अंतरित की जाती है। विशेष रूप से आरबीआई ने 21 नवम्बर, 2014 के परिपत्र में अपने पूर्व के अनुदेशों को दोहराया है कि बैंकों को अपरिचालनीय खातों के विशेष संदर्भ में ग्राहकों का पता लगाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वैसे ग्राहक/ जमाकर्ता जिनकी अदावाकृत राशि/जमा राशि निधि को अंतरित की गई थी, से मांग प्राप्त होने पर बैंक उस ग्राहक/जमाकर्ता को प्रयोज्य ब्याज सहित जमा राशि वापस करेगा और ग्राहक/जमाकर्ता को अदा की गई राशि के समतुल्य राशि निधि से वापस लेने पर दावा दर्ज करेगा। ग्राहकों/ जमाकर्ताओं को भुगतान करने के पश्चात् बैंक जमा राशि की वापसी के लिए दावा दर्ज कर रहे हैं और आरबीआई को इस संबंध में ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त नहीं हो रही हैं।		पंजीकरण के लिए प्राप्त 90 आवेदनों में से किया गया है। चयन प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक दल द्वारा जांच तत्पश्चात् जमाकर्ता, शिक्षा तथा जागरूकता निधि समिति जिसमें तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं, द्वारा अवेदनों का मूल्यांकन शामिल है। आवेदकों का चयन न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरा करने, उनके कार्य के पूर्ववृत्त तथा जमाकर्ता शिक्षा, ग्राहक जागरूकता,

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
					ग्राहक रक्षा आदि के क्षेत्र में किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। पंजीकृत संस्थाओं को निधि से परियाजना विशिष्ट वित्तीय सहायता के लिए सभी संगत तथा समर्थक दस्तावेज/ सूचना के साथ निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। 30 नवम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, निधि की मूल राशि 8944 करोड़

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
					रुपए है। आरबीआई को अभी तक निधि से वित्तीय सहायता की मांग के संबंध में 8 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

Annexure

Statement showing Action Taken on the Recommendations/Observations contained in
10th Report of Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha) relating to Ministry of Finance

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
1	Para 01	During the course of scrutiny of the Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Finance, the Committee have noticed instances and trends of inconsistencies in budgetary allocations as also large under-utilisation of budgeted funds as highlighted by certain illustrative examples such as : (i) Demand No. 34 [Detailed Head 09.01.28] relating to payment to consultants, legal service charges, payment on account of MOUs etc.; (ii) Demand No. 46 [Detailed Head 52.01.26] relating to expenditure incurred on Advertisement & Publicity, (iii) Demand No. 34 Major Head 5475 in respect of Capital Outlay on other General Economic Services, (iv) Analysis of Actual Expenditure vis-à-vis BE during the period 2012-13, 2013-14 and 2014-15 in respect of Department of Financial Services as reflected in the Outcome Budget (2015-16),	It may be observed that most of the savings were largely owing to post budget decisions/exchange rate fluctuation/ economic situation which could not be visualized at the time of framing of Budget Estimates and therefore beyond the control of the Department. However, necessary instructions are issued to all concerned for preparing realistic estimates avoiding such large saving/under-utilization at the time of issuing Budget Circular. In the light of the observation of the Standing Committee, an Expert Group has been set up to review and rationalize the budget documents.	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		(v) Demand No. 38 (Major Head 7610) relating to "Loans to Government Servants etc." and (vi) Demand No. 36 relating to Interest Payments. The Committee have in their previous Reports been commenting upon such trends in the Demands for Grants, which have only indicated laxity in the budgeting exercise and non-application or inadequate application of available tools/ techniques in budget formulation. This has obviously resulted in lacunae such as under-allocation of funds juxtaposed with over-allocation in some cases, wide fluctuations between the BE, RE and the Actuals during successive years and large under-utilisation of allotted funds. Doubtless, some improvements have been made over the years and attempts have been made to streamline the processes. Nevertheless, the Committee believe that more earnest efforts are required so that budget formulation becomes more coherent and purposeful. In this regard, the Committee would also like to suggest that budgetary documentation can also made simpler, less unwieldy and easier to comprehend.			

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
2	Para 02	It was submitted during the deposition before the Committee that Rs. 20,000 crore has been earmarked in the current Budget for allocations to be made to States on the recommendations of NITI Aayog. Subsequently, in their post-evidence reply, the Ministry of Finance have stated that budget estimates of Rs. 20,000 crore is a new budget line introduced in 2015-16 in Demand No. 37 (formerly Demand No. 36) under the major head 3601 (sub-major head 03), that is, Special Assistance to States. They have also clarified that the process of obtaining minor head/sub-head/detailed head/object head has already begun in consultation with the office of the Controller General of Accounts. Further, this amount shall be disbursed based on the recommendations of NITI Aayog. The Committee, however, are not satisfied with the Ministry's explanation with regard to the presentation as well as earmarking of the afore-mentioned funds in the Budget. There is an element of obfuscation and non-transparency in the manner of presenting/	"Special Assistance" is a new budget line introduced in 2015-16 in Demand No. 37 with an allocation of Rs. 20,000 crore which is earmarked for committed spill over liabilities pertaining to area specific schemes and projects for which budget provision is not made after the implementation of FFC recommendations and need based assistance to the States, depending upon requirements due to varying socio-economic-geographical factors. Now, it has been finalised that this amount under "Special Assistance" for Central Plan Scheme will reflect in Demand No. 37 - Transfers to States & Union Territory Governments with the 15 digit code as 3601.03.560.01.00.35 and 3601.03.560.01.00.31 for Grant in Aid for Creation of Capital Assets and Grant in Aid (General) respectively in the Demand for Grants of 2016-17. In consultation with NITI Aayog, GOI has approved the allocation of Special Assistance provided in BE 2015-16 which includes committed spill over liabilities & need based assistance of Rs. 4950 crore towards BRGF-State Component (including KBK districts of Odisha, Special Plan for Bihar, Special Plan for West Bengal, Bundelkhand package for MP & UP), Uttarakhand Medium & Long term Reconstruction Package 2013 and PMRP 2004 & Flood Rehabilitation Plan 2014 for J&K. Further, one of the components of the assistance approved is Rs. 1000 crore towards **'One time assistance to areas covered**	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		projecting such a significant budget estimate before Parliament, particularly when it is being made for the first time. The Committee, therefore, desire the Government to have a relook in the matter and also intimate the Committee as to how such allocations, if any, will be reflected in the Demands for Grants of 2016-17.	**under Sixth Schedule of the Constitution',** which has been proposed for development of the areas covered under the proviso to Article 275(1), which are excluded from the consideration of 14th Finance Commission, in order to bring such areas on par with other areas. Thus, the allocation from Demand No.37 of Department of Expenditure of Ministry of Finance is allocated mainly to meet with committed liabilities and to specific needs as may be suggested by the NITI Aayog.		
3	Para 03	The Committee are also at a loss as to understand the deployment and utilisation of such a large corpus, which will be disbursed on the recommendations of the newly constituted NITI Aayog that has replaced the Planning Commission. The Committee feel pertinent to point out here that if the newly constituted NITI Aayog is to perform allocative function similar to the function attached to the erstwhile Planning Commission, it is not clear as to why the Planning Commission was dismantled in the first place. The Committee, would, therefore like to be apprised about the	The Union Government established NITI Aayog (National Institution for Transforming India), and discontinued the Planning Commission after **extensive consultation across the spectrum of stakeholders,** including state governments, domain experts and relevant institutions. NITI Aayog may not be considered as replacement of the Planning Commission. NITI Aayog is constituted to provide a critical directional and strategic input into the development process. Accordingly, NITI Aayog has been assigned the new roles like evolving a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of States and for fostering cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis.	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		precise mandate of NITI Aayog with regard to allocation of resources to States and the parameters as also the mechanism governing such transfer of funds. This issue clearly brings to the fore key concerns on the new process/mechanism being adopted for transferring budgetary resources to States (outside the ambit of the Finance Commission), which will be discussed and commented upon in the succeeding paras.	Therefore, the role of NITI Aayog is not confined to allocation alone but the new role is different from that of the Planning Commission in many respects. Allocation role is one of the roles of NITI Aayog. However, unlike earlier provision during the prevalence of Planning Commission, the amount of Rs. 20,000 cr. under Special Assistance has been allocated in Demand No. 37 of Department of Expenditure, Ministry of Finance for fulfilling the committed and need based liabilities in consultation with the NITI Aayog. A long pending demand of the States has been to abandon the approach of 'one size fits all' and tailor their Plans to suit their needs and requirements rather than getting scheme based allocations under various centrally sponsored schemes. The Union Government is committed to selectively intervene only in core areas of National importance and inter-State in nature, for removing regional imbalances and to address differential deprivation in the society. The sharing pattern for CSS has been finalised reducing the number of schemes and retaining the right based scheme in present form. The Government of India accepted the FFC recommendation of increased devolution of tax from 32% to 42% providing increased fiscal space to the state providing greater freedom to plan for their respective states. In view of the reduced fiscal space available to the Centre in 2015-16 on account of higher devolution to the States, in 2015-16		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			Budget Estimates, the Central Assistance for State Plans have been budgeted as Rs.1.80 lakh crore as compared to Rs.2.56 lakh crore in 2014-15 (RE). Thus, implementing the FFC recommendations would be progressive because progressive tax transfers would increase and **discretionary and less progressive plan transfers** would decline. With the transfer of major resources through the mechanism of Devolution of Taxes, the NITI Aayog under the Revised Mandate will have lesser role in resource allocation.		
4	Para 04	Demand No. 37 in respect of Ministry of Finance relates to transfer to States and Union Territory Governments. The Ministry of Finance have submitted in this regard that they have been releasing funds under this Demand till the year 2014-15, which included releases both under Plan and Non-Plan categories. Plan Grants comprise of Block Grants, which consists of Normal Central Assistance (NCA), Backward Regions Grants Fund (BRGF) Scheme (State Component), Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Projects (EAPs), Special Central Assistance (SCA), Special Plan Assistance (SPA) etc.	FFC while assessing the revenues and expenditures of the States, in Para - 7.2 of its report has stated that they have taken a holistic view of revenue expenditure on various services without making a distinction between plan and non-plan and that they have re-assessed the base year expenditure as 2012-13 for the purpose and by applying trend growth rates of expenditure observed during 2004-05 to 2012-13 over actual expenditure of 2012-13, the expenditure estimates of 2013-14 and 2014-15 have been arrived at. The methodology has been applied uniformly to all states by FFC. Thus, it is seen that the expenditure needs of all States have been taken into account by FFC in its assessment of revenues and expenditures of the States which in turn has been factored in while determining the share of states in Central taxes. Further, the differences amongst States in fiscal capacity and expenditure need, including cost disabilities, have also been taken	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		Non-Plan Grants are provided as recommended by the Finance Commission for its award period under Article 275(1) of the Constitution and are charged expenditure. These Non-Plan Grants are meant for Non-Plan revenue deficit, elementary education, environment, improving outcomes, maintenance of roads and bridges, local bodies, calamity relief and for State Specific needs. The Committee, however, note that the afore-mentioned Normal Central Assistance (NCA) to States as an untied Grant under the Gadgil-Mukherjee formula was provided, hitherto, as per allocation made by the erstwhile Planning Commission and the Budget Estimate for which in 2014-15 was Rs. 28,514 crore. The Committee now find to their surprise that in the current Budget, there is no allocation under NCA. According to the Ministry, higher transfer of untied devolution of taxes as per the recommendations of the Fourteenth Finance Commission will take care of 'no allocation under NCA'. In fact, the	into consideration by FFC while assessing the expenditure needs and revenue. Para-7.12 of FFC report is as below: *"The expenditures and revenues of states have been assessed based on actual and normative expenditure needs. While assessing expenditure needs, we have taken into consideration the differences among the State in fiscal capacity and expenditure need, including cost disabilities."* Since the revenue expenditure requirements of the states, including Plan and Non-plan, have been assessed and factored in FFC while determining the share in divisible pool, the additional Central assistance in the form of NCA, SCA or SPA stands subsumed in the higher tax devolution which have been increased from 32% to 42%. Now in consultation with NITI Aayog, GOI has approved the allocation of Special Assistance provided in BE 2015-16 under Demand No. 37 as a committed liabilities and need based programs which includes committed & need based liabilities of Rs. 4950 crore towards BRGF-State Component (including KBK districts of Odisha , Special Plan for Bihar, Special Plan for West Bengal, Bundelkhand package for MP & UP), Uttarakhand Medium & Long term Reconstruction Package 2013 and PMRP 2004 & Flood Rehabilitation Plan 2014 for J&K. Further, one of the components of the assistance approved is Rs. 1000 crore towards **'One time assistance to areas covered under Sixth Schedule of the Constitution',** which has been proposed for		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		Committee notice that all untied Block Grants to States have been subsumed in "higher devolution of taxes". This has resulted in discontinuance of schemes like SCA for Hill Areas Development Programme (HADP), Western Ghats Development Programme (WGDP), Backward Regions Grants Fund (BRGF), Additional Central Assistance for Left Wing Extremist (ACE for LWE) affected Districts etc.; only the assistance under ACA for Externally Aided Projects continues under Block Grants. The Committee are of the view that such subsuming of specific schemes designed with a special purpose/ focus to uplift living standards in backward and under-developed areas/regions with chronic poverty is not desirable. Central budgetary support and an element of hand-holding by way of SCA is therefore still required to bring about social and economic development in such areas which are lagging far behind in socio-economic indices and which also face extraordinary challenges as in the case of Left Wing Extremist affected Districts.	development of the areas covered under the proviso to Article 275(1), which are excluded from the consideration of 14th Finance Commission, in order to bring such areas on par with other areas. Further on the request of the States to make intra-state inequality as a factor into the devolution formula or in determining grants, FFC has taken a view that intra-state inequality is within the policy jurisdiction of the States and provisioning of adequate resources through tax devolution should enable them to address intra-state inequalities in an effective manner. Central Govt. also, while accepting the recommendation of FFC to increase the share of states to 42%, in its ATR, has stated that the higher tax devolution will allow States greater autonomy in financing and design of schemes as per their need and requirements and that it is hoped that the states will use the extra fiscal space available to create productive capital. Further, it may not be out of place to mention that higher devolution of central taxes at 42% has not left enough fiscal space with the Centre to continue support to States in form of Block grants. Even the constraint of funds has been observed for implementing various centrally sponsored schemes as per existing pattern.		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
5	Para 05	In this context, the Committee note that the Ministry have clarified that the issue of fund allocation to Regional Council stipulated under the Sixth Schedule of the Constitution is distinct from the issue of development of Hill Areas and Western Ghats, which have been discontinued or subsumed. The Committee desire that in view of the statutory requirements, the resources transfer envisaged in the tripartite agreements between the Centre, States and the Regional Development Councils such as Gorkhaland Territorial Administration (GTA) (which has replaced the Darjeeling Gorkha Hill Council since 2011), Bodoland Territorial Council, Kalahandi-Bolargir-Koraput (KBK) region of Odisha, Bundelkhand packages for UP and MP etc. should be preserved and continued as a separate agreement , which is not subsumed under Block Grants for eradication of extreme poverty in these neglected areas/ regions. The Budget should accordingly reflect this position clearly. In this context, the committee would thus emphasise that	In para 2.30 of its report, Fourteenth Finance Commission (FFC), on the request of the States to make intra-state inequality as a factor into the devolution formula or in determining grants, has taken a view that intra-state inequality is within the policy jurisdiction of the States and provisioning of adequate resources through tax devolution should enable them to address intra-state inequalities in an effective manner. Since the revenue expenditure requirements of the states, including Plan and Non-plan, have been assessed and factored in FFC while determining the share in divisible pool, the additional Central assistance in the form of NCA, SCA, SPA, etc stands subsumed in the higher tax devolution which have been increased from 32% to 42%. However, Union Government is conscious of the tripartite agreements between the Centre, States and the Regional Development Councils such as Gorkhaland Territorial Administration (GTA) (which has replaced the Darjeeling Gorkha Hill Council since 2011), Bodoland Territorial Council, Kalahandi-Bolargir-Koraput (KBK) region of Odisha, Bundelkhand packages for UP and MP etc. Government of India is fully aware of spill-over liabilities pertaining to the specific schemes/projects which may lag behind due to the discontinuation of some of the Plan Schemes. Hence, in the line of suggestion of the Committee the allocation of Special Assistance provided under Demand No. 37 of Ministry of Finance during 2015-16 (BE) has been approved for total amount	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		the specific mechanism of transfer of funds to States as Plan Grants developed over time should be preserved and kept distinct and separate from devolutions under Finance Commission award, which by its very nature cannot address re-distributive aspects in funds allocations/resources transfer. In this regard the committee desire that the recommendations of Raghuram Rajan's Report on backwardness of States (Committee for Evolving Composite Development Index of States) may be considered and appropriately implemented.	of Rs. 19700 crore. This includes committed liabilities of Rs. 4950 crore towards BRGF-State Component (including KBK districts of Odisha , Special Plan for Bihar, Special Plan for West Bengal, Bundelkhand package for MP & UP), Uttarakhand Medium & Long term Reconstruction Package 2013 and PMRP 2004 & Flood Rehabilitation Plan 2014 for J&K. Further, one of the components of the assistance approved is Rs. 1000 crore towards **'One time assistance to areas covered under Sixth Schedule of the Constitution',** which has been proposed for development of the areas covered under the proviso to Article 275(1), which are excluded from the consideration of 14th Finance Commission, in order to bring such areas on par with other areas. Thus, the Schemes designed with the special purpose to uplift living standards in backwards and under develop areas have been continued during 2015-16 also by providing One Time Assistance. Besides, with the higher devolution of taxes to States at 42% recommended by FFC, sufficient flexibility to the States to conceive and implement schemes/programmes suited to the local needs and aspirations, including requirements to bridge the inter-state developmental deficit gap and eradication of poverty. States Governments have been requested to submit the project-wise proposals through NITI Aayog. NITI Aayog will examine and recommend projects for which fund is to be		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			released. Fund is to be released to various states fulfilling the conditions as per the rules & guidelines within General Financial Rules (GFR).		
6	Para 06	The Committee have been informed that the Fourteenth Finance Commission has enhanced the share of the States in the Central divisible pool from the current 32% to 42%, which has been stated to be the biggest ever increase in vertical tax devolution. It has been stated that during 2015-16 alone, increase in transfer to States over 2014-15 (both from tax devolution and grants) is estimated to be about Rs. 2.1 lakh crores. According to the Ministry of Finance, all States stand to gain from these transfers of funds in absolute terms, and the States can therefore support various projects and programmes out of the increased devolution. The Committee believe that inter-state inequality as well as intra-state disparities including uneven resource-base and development cannot be addressed by the method of resource transfer followed in the current year's Budget. The utilisation	The FFC has substantially enhanced the share of the States in the Central divisible pool from the current 32 % to 42 %, which is the biggest ever increase in vertical tax devolution. The FFC has also proposed a ***new horizontal formula*** for the distribution of the states' share in divisible pool among the states. Relative to the Thirteenth Finance Commission, the FFC has incorporated two new variables: 2011 population and Forest cover. All states stand to gain from FFC transfers in absolute terms. While some States gain on account of increase in divisible pool, some States with large forest covers are likely to get higher tax devolution due to inclusion of forest cover also in the devolution formula. The requirement of the States on account of inter-state inequality as well as intra-state disparities, including uneven resource-base and development has been taken into account by FFC while determining the share of the States. As a consequence of higher devolution, the fiscal space of Union has shrunk. For making selective intervention in areas of national priority, in 2015-16 BE, the Central Assistance for State Plans have been budgeted as Rs.1.80 lakh crore as compared to Rs.2.56 lakh crore in 2014-15 (RE), by retaining the allocations under Right based/ cess backed schemes like SSA, MGNREGA, Road Sector, Tribal	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		of funds thus transferred by respective States may be based on own priorities and absorptive capacity, rather than the specifically determined purposes for these grants in the first instance. This naturally gives rise to an apprehension that the desired outcomes on socio-economic parameters in neglected areas, which a focussed grant could yield, may not be forthcoming now. The Committee would therefore expect the Ministry of Finance to address these concerns appropriately.	sub Plan etc almost at the same level of last year. The Union Government has retained the Sharing pattern of 17 core schemes under CSS, which form part of the National Development Agenda, with the sharing pattern of 60:40 between the Centre and the States (90:10 for the 8 North-Eastern and 3 Himalayan States). The funding pattern of the schemes namely MGNREGA, NSAP, UMBRELLA Programmes for development of SC, ST, differently abled person, minorities, backward classes and vulnerable group will remain unchanged. All other schemes will be optional for the State Governments and their fund sharing pattern will be 50:50 between the Centre and the States (80:20 for the 8 North-Eastern and 3 Himalayan States). Thus, the Union Government has retained schemes keeping in mind the need of certain core programmes for achieving desired outcomes on socio-economic parameters and keeping in view the national priorities and neglected areas. The States have been demanding to abandon the approach of 'one size fits all' and tailor their Plans to suit their needs and requirements rather than getting scheme based allocations under various centrally sponsored schemes. The transfer of more resources to the States in the nature of untied funds by way of higher tax devolution will enable the States to make and implement schemes or programmes as their genius to achieve desired outcome including, on socio-economic parameters in neglected areas as per requirements and aspirations of people.		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
7	Para 07	Another pertinent issue that has invited the attention of the Committee relates to transfer of funds to the Public Account of India, where in balances available in the corpus do not lapse at the close of the Financial Year. In this regard, the Committee note that as per Article 266(2) of the Constitution, the receipts into the Public Account and disbursements out of it are not subject to approval by Parliament. According to the Ministry's submission, funds under Public Account are generally created to regulate the flow of funds with dedicated receipts in the form of cess, levies, annual contributions, fees etc. and proceeds are assigned to the specific purpose as laid down in the Statute or Rules. Thus, funds such as Central Road Fund, National Clean Energy Fund, National Social Security Fund, Guarantee Redemption Fund etc. are backed by specific receipts or seeded by annual contributions from Government. The Ministry have sought to allay the apprehension of the Committee that since	Most of funds kept and operated in the Public Account of India are based on the provision enunciated in the Acts passed by Parliament. Thus, operation of the fund through Public Account cannot be obviated. Further, dedicated receipts in the form of cess, levies, contributions, etc. are to be set aside for the purpose for which they are levied and collected. These are generally not available for being spent on the general schemes of the Government. It may be appreciated that funds are not operated for the purpose of securing non-lapsability. All the schemes financed from such funds are on-going schemes and are appraised, approved and the financial outlays thereof decided by the competent authorities before commencing implementation of the schemes as per the standard procedure laid down in the financial rules. Considering the tight fiscal management exercise as part of budget exercise, funds are provided to the implementing agencies only to the extent of capacity to spend/utilize in a fiscal, leaving little scope for keeping the funds unutilized in the Public Account of India. Also, monies spent out of reserve funds/corpus funds kept in the Public Account of India are routed though Consolidated Fund of India so that they are subject to scrutiny and approval of Parliament.	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		the corpus of these funds are utilized towards implementing Government schemes/programmes, these are subject to Parliament scrutiny and that expenditure out of such funds are routed through the Consolidated Fund of India, for which appropriations are sought through Demands for Grants and Appropriation Bill. The Committee note that the non-lapsability of funds in the Public Account does give a distinct advantage to Government, as fresh appraisal as well as provisioning need not be made by way of budget estimate every year. However, the rationale for which Public Account is provided for in the Constitution in the first place should be adhered to and transfer of funds to this Account should not be indiscriminately resorted to secure non-lapsability alone, as it may willy-nilly circumvent Parliamentary scrutiny and oversight of budgetary processes. Such a situation/arrangement of non-transparency coupled with lack of accountability to Parliament is un-acceptable to the Committee.			

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
8	Para 08	The Committee note that an amount of Rs.13,000 crore has been allocated for the interest subvention for crop loans in the BE 2015-16. However, in their post-evidence reply, the Ministry have stated that as per the assessment of financial implication of interest subvention for the year 2014-15, the total subvention including post-harvest storage is estimated to be Rs.18,904 crores as against Rs.15,649 crore in 2013-14. They have also submitted that due to the seasonal nature of the cropping pattern, subvention claims for short-term crop loans given in one financial year spill over to the subsequent financial years. Accordingly, the budget provision for 2015-16 will be utilised for reimbursing the claims raised during the period 2012 to 2014 as well as during 2015-16, if any. When the Committee pointed out the extent of under-allocation under this Head, particularly when unseasonal rains have wreaked havoc causing extensive damage to crops in Central and North	The Interest Subvention Scheme for 2015-16 was approved by the Union Cabinet on 21.7.2015 and is under implementation by the Government. The Scheme, inter alia, includes the provision that in order to provide relief to the farmers on occurrence of natural calamities, the interest subvention of 2% shall continue to be available to banks for the first year on the restructured amount. Besides, with the approval of the Union Cabinet, a Committee has since been constituted under the aegis of Ministry of Agriculture to suggest the feasible measures/options for improving targeted lending to small and marginal farmers and ensuring maximum utilization of limited budgetary resources under the Interest Subvention Scheme. So far during 2015-16, a total of Rs.12,405.16 crore has been released to Reserve Bank of India (RBI)/National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD), out of the allocated budget of Rs.13,000 crore for the year 2015-16, towards settlement of interest subvention claims of banks pertaining to previous years. Besides, additional Rs.5,000 crore has been proposed under Revised Estimates, 2015-16 for implementation of Interest Subvention Scheme, taking the total proposed allocation for the current year to Rs.18,000 crore. Further, Rs.20,000 crore has been proposed under Budget	Decision to be taken at the time of finalization of supplementary grants by Budget Division	With the approval of the Union Cabinet, a Committee has since been constituted under the aegis of Ministry of Agriculture to suggest the feasible measures/ options for improving targeted lending to small and marginal farmers and ensuring maximum utilization of

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		India, the Ministry have conceded that additional provision of about Rs.15,000 crore may be required under this head, depending upon actual claims received. The Committee, would, therefore urge the Ministry to make sufficient additional allocations under this Head so that farmers are adequately protected against vagaries of nature. More so, when this year, nature has been very unkind to the farming community.	Estimates for 2016-17 for implementation of Interest Subvention Scheme.		budgetary resources under the Interest subvention Scheme. Government may take the recommendations of the said Committee into consideration for the Scheme of 2016-17
9	Para 09	In this context, the Committee would also like to highlight the underlying problem of wholly inadequate crop insurance system available for the hapless farmers. The existing weather and yield-based systems take only the area and not the individual as a unit. This approach does not seem to represent and address the manner in which	Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has initiated various measures as below for ensuring financial protection to farmers and economically weaker sections of the society. ■ IRDAI has formulated the micro insurance regulations which provide a platform to distribute insurance products, certain levels of cover, premium and benefit standards, which are	Not Accepted	Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare has moved a Cabinet Note on

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		crop damage actually occurs. The committee feel that if crop insurance products are to be tailored to cover for a range of risks as well as reach out to the individual farmer, insurance premium will inevitably increase, which will have to be duly factored in and subsidised, while making crop insurance a viable proposition. It is also necessary that large number of the country's small and marginal farmers, who are financially excluded, should be brought under the insurance ambit, which will no doubt reduce the costs for all concerned. such a wide insurance coverage should be linked to micro-finance and the Self Help Groups (SHGs) network as well. In this regard the Committee recommended that a suitable fool-proof mechanism/scheme should be put in place to provide complete financial protection to farmers including social security.	affordable to the rural and urban poor. These regulations have allowed Non-Government Organizations (NGOs) RBI regulated NBFCs, primary agriculture societies, urban cooperative banks, Self Help Groups (SHGs) etc. to act as agents to insurance companies in marketing the micro insurance products. These Micro Insurance agents can also work with the Agriculture Insurance Company of India for distributing micro crop insurance products. These new distribution channels will surely help in reaching out to the poor and the deprived section of the population especially those residing in rural areas. ■ The Insurance companies are also encouraged to devise products with smaller premiums and less coverage, which can help in catering to the insurance needs of the low-income population that cannot afford or do not have access to traditional plans. Currently, as per our records, about 50 crop insurance products are being marketed by AICIL and other General Insurance Companies. ■ IRDAI had come out with a regulatory framework vide IRDAI (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors, 2002) so as to ensure a balanced and speedy penetration of insurance coverage in the country. Recently IRDAI has also formulated a draft regulation- IRDAI (Obligations of Insures		Bhartiya Krishi Bima Yojna (BKBY) and Pilot Unified Package Insurance Scheme (UPIS) to provide financial protection to farmers including social security.

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015, in pursuance to the amendments brought about u/s 32 B of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015. These regulations impose obligations on insurers towards providing insurance cover to the rural and economically weaker section of the population. The regulation mandates that the insurers have to necessarily sell a specified percentage of policies and underwrite specified percentage of gross premium underwritten with respect to life and non-life insurance companies respectively. Stringent penalties are also prescribed under the Act for non-compliance of the above provision. ■ To ensure faster settlement of crop insurance claims the IRDAI is actively considering the use of satellite remote sensing technology as an efficient and reliable mapping tool for yield estimation for assessment of risk and settlement of crop insurance losses. IRDAI has had a series of discussions with various stakeholders in this regard. In this direction, various research studies and experiments are being undertaken by institutions associated with agriculture and rural development, throughout the country. Use of this technology would definitely ensure speedy assessment and settlement of crop losses.		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			■ One of the main reasons for low levels of insurance penetration in crop insurance is lack of awareness about the insurance products and the benefits of various insurance policies. IRDAI, as insurance sector regulator, has been playing pro-active role in promoting insurance education so as to improve financial literacy among the population. Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AICIL), at present, transacts only crop insurance business. Other policies covering various risks pertaining to farmers such as agriculture implements, personal accident, livestock, etc. are being provided by other general insurance companies. The present crop insurance schemes formulated by the Government of India are area approach based schemes' covering crops of the farmers against non-preventable risks which are subsidized by the governments. The operation of Crop Insurance Scheme with farmer's holding as unit or the tailor made products made to suit each individual farmer's choice of risk may not be feasible due to following reasons: i. Large number of small sized farm holdings vis-à-vis small ticket insurance to service large number of such holdings		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			which is administratively challenging task. ii. Non availability of past record of farm level yield data. iii. Location of fields in remote and inaccessible areas. iv. Requirement of huge investment in terms of creation of infrastructure and manpower for assessing the yield/ loss. v. Assessment of losses on large number of fields simultaneously affected by wide spread calamities i.e. Flood, hail storm etc. is difficult. vi. High costs of operation will push up premium rates which if not subsidized, may be unaffordable to the farmers. Small and Marginal farmers covered under NAIS, MNAIS and WBCIS are 63% of total insured farmers. These schemes are compulsory for loanee farmers and optional for non-loanee farmers. Thus small & marginal farmers availing short term agricultural loans for growing notified crops can be covered through banking network. Those not availing crop loans have option to participate in crop insurance schemes as non- loanee farmers. As per schemes provisions, the farmers who avail the Seasonal Agricultural Operation loans (SAO) for growing notified crops are covered as loanee farmers. Micro-finance, if availed for notified crops is covered under crop insurance schemes. Self-Help Groups (SHGs) also participate under these schemes.		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
10	Para 10	The Committee note that under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), as against the estimated target of opening 10 crore accounts, as on 28 February, 2015, 13.68 crore accounts have been opened, out of which 8.16 crore accounts are in rural areas and 5.52 crore in urban areas. However, it is a matter of concern that out of the total 13.68 crore accounts, as many as 8.59 crore accounts are with 'zero balance' (i.e. 62.79%). Although, deposits of Rs.12693.87 crore have been mobilised through these accounts, the Committee would like the Ministry to constantly monitor the progress in operationalising the 'zero balance' accounts. Towards this end, as already accepted by the Ministry, the benefits / payments accruing to the account-holders under different schemes including transfer under Direct Benefit Transfer (DBT) as well as wage / pension payments under programmes such as the MGNREGA and Social Security Schemes should be credited to the PMJDY account,	Under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) as on 02.12.2015, 19.41 crore accounts have been opened by Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs) and major private sector banks, out of which 11.82 crore accounts are in rural areas and 7.59 crore in urban areas. Deposits of Rs.27283.06 crore have been mobilized. 16.61 crore RuPay Debit cards have been issued. As on 31.01.2015, the number of Zero balance accounts opened under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) stood at 67.30 %. However, due to constant follow-up by the banks, Zero Balance accounts have reduced to 34.31% as on 02.12.2015. To further make these accounts operative and functional, PMJDY envisages transfer of benefits under various Direct Benefit Transfer (DBT) Schemes of Central Government including Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL). State Governments have also been requested to transfer benefits through accounts of the beneficiaries opened under PMJDY. Besides, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) has been implemented in 300 districts and all the wage payments under MGNREGA are to be made through these accounts. In the Union Budget 2015-16, two insurance schemes, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and one Pension scheme Atal Pension Yojana (APY) were announced	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		which will thus become the convergence point for the intended beneficiaries and help them nurture their account with a bank or a post office and thus sustain their livelihoods.	whose premium/contribution will be debited from the balance available in bank accounts. The three Schemes have formally been launched by Hon'ble Prime Minister on 09.05.2015. These social security schemes will motivate customers to keep their bank accounts functional.		
11	Para 11	The operationalisation of PMJDY accounts and last-mile implementation of financial inclusion should be hastened by strengthening the Business Correspondent (BC) model and simultaneously efforts should be made to expand banking network through brick and mortar branches also. Banks implementing this programme should also be incentivised and provided necessary logistical support.	Business Correspondents (BCs) are part of branchless banking and are deployed by banks where opening of branch is not commercially viable. Business Correspondents are fixed point/online/inter-operable and equipped with micro ATMs and day-to-day banking transactions can be done through them on line. Under PMJDY entire country has been mapped into Sub Service Areas (SSA) in rural areas and Wards in urban areas. All such SSAs are covered by banking facilities either in the form of brick and mortar branches or through BCs. Banks are also preparing their Annual Branch Expansion Plan (ABEP) in tune with RBI guidelines and other commercial / social parameters and these plans are implemented through proper monitoring. State-wise list of number of Business Correspondents are as under:	Accepted	

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6

State Name	Number of BC Deployed as on 04.12.2015
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	28
ANDHRA PRADESH	6576
ARUNACHAL PRADESH	89
ASSAM	3604
BIHAR	10565
CHANDIGARH	5
CHHATTISGARH	2341
DADRA & NAGAR HAVELI	27
DAMAN & DIU	5
GOA	110
GUJARAT	6039
HARYANA	2099
HIMACHAL PRADESH	1492
JAMMU & KASHMIR	899
JHARKHAND	3310
KARNATAKA	5218
KERALA	1486
LAKSHADWEEP	0
MADHYA PRADESH	10484
MAHARASHTRA	11947
MANIPUR	279
MEGHALAYA	230
MIZORAM	49

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6

State Name	Number of BC Deployed as on 04.12.2015
NAGALAND	130
NCT OF DELHI	3
ORISSA	5088
PUDUCHERRY	51
PUNJAB	2478
RAJASTHAN	7758
SIKKIM	95
TAMIL NADU	8874
TELANGANA	4030
TRIPURA	338
UTTAR PRADESH	20652
UTTARAKHAND	1437
WEST BENGAL	8221
Total	**126037**

For expansion of BC network, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Women & Child Development and Department of Posts have been requested to explore the possibility of engaging Aanganwadi Workers; Asha Worker and Gramin Dak Sevaks (GDS) respectively as Business Correspondents of Banks which would help in expanding the banking reach further.

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Recommend-dation No.</th><th>Recommendation</th><th>Action taken by Government</th><th>Whether Accepted or not by Government</th><th>Remarks (if any)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Branch Position of Scheduled Commercial Banks during the last five years and upto 30.06.2015 is as under:
<table>
<tr><th>As on</th><th>Rural</th><th>Semi Urban</th><th>Urban</th><th>Metro politan</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>31.03.2011</td><td>33986</td><td>23178</td><td>17781</td><td>16431</td><td>91376</td></tr>
<tr><td>31.03.2012</td><td>36623</td><td>25935</td><td>19041</td><td>17452</td><td>99051</td></tr>
<tr><td>31.03.2013</td><td>39917</td><td>28666</td><td>20100</td><td>18274</td><td>106957</td></tr>
<tr><td>31.03.2014</td><td>45402</td><td>31656</td><td>21706</td><td>19463</td><td>118227</td></tr>
<tr><td>31.03.2015</td><td>48727</td><td>33925</td><td>23222</td><td>20716</td><td>126590</td></tr>
<tr><td>30.06.2015</td><td>48872</td><td>33997</td><td>23157</td><td>20614</td><td>126640</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Para 12</td><td>The Committee had also drawn the attention of the Ministry to the Report of Indian Banks Association (IBA), Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and Boston Consultancy Group (BGC) report on Productivity in Indian Banking, 2014 which had pointed out the existence of 16 crore no frills accounts prior to the accounts opened under PMJDY. The Ministry in their written submission stated that they would examine this report. There is a possibility that this could have saved a lot of effort and expenditure, if</td><td>The existence of a large number of inactive BSBD accounts prior to PMJDY was taken into consideration in the design of PMJDY. Many of these accounts were being operated by the Banks in off-line mode. The design features of PMJDY were to have on-line accounts on Core Banking Solutions of Banks.

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) was launched on 28th August, 2014 with the target to open banks accounts of all uncovered households, which were estimated at about 7.50 crore households, by 26.01.2015. To achieve this target, entire country was mapped in 2,26,197 Sub-Service Areas (SSAs) in rural areas and Wards in urban areas. Out of total number of 21.22 crore surveyed households, bank accounts have been opened for 99.99 % households.</td><td>Accepted</td><td></td></tr>
</table>

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		these accounts would have found some use under PMJDY. The Ministry, therefore, should have ideally gone through this report before embarking on the account opening exercise of such mammoth scale for PMJDY.	Under the survey, it was ascertained whether at least one member in every household had a bank account or not. In case the bank accounts did not exist, fresh accounts were opened.		
13	Para 13	The Committee note that the current Budget has sought to bring parity in regulation of Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with other financial institutions in matters relating to recovery of debt. It has been proposed that NBFCs registered with RBI and having asset size of Rs. 500 crore and above will be considered for notification as 'Financial Institution' in terms of the SARFAESI Act, 2002. In this context, the Committee note that the existing debt recovery system envisaged under the Debt Recovery Tribunals (DRTs) and Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs) has not been found to be very effective in expeditious recovery of dues owed to banks in Non-Performing Asset (NPA)	The Government reviews the working of DRTs from time to time and has taken various steps for reducing the disposal time of cases in DRTs and to improve the function of DRTs such as i. Implementation of e-DRT Project - a. A web portal for DRTs (www.drt.gov.in) has been created which enables DRTs/DRATs to daily upload and update Cause lists, Judgments and Daily orders on the DRT web portal. The web portal also enables the general public to get information about the provisions of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and procedure rules related to Debt Recovery Tribunals and Debt Recovery Appellate Tribunals. b. Scanning & Digitization of old records - Scanning & Digitization of old records is already under progress. c. E-Filing - e-Filing process in Debt Recovery Tribunals & Debt Recovery Appellate Tribunals is under consideration. d. Better IT equipment is being provided to DRTs to enable smooth functioning on daily basis.	Accepted	Work is under progress.

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		accounts with outstanding amount of Rs. 10 lakh and above. The recovery process has been characterised by interminable delays at various levels including the DRTs as also the District Authorities. Although the Ministry have stated that there are no legal hurdles in resolving the NPAs, it has been brought to the notice of the Committee by different banks during their recent Study Visit to Mumbai, Bengaluru and Hyderabad that the existing recovery mechanism and the available processes need further streamlining so that dues can be recovered in a time-bound manner and at a time when they are recoverable. The Committee would therefore recommend that the government should review the working of the SARFAESI Act in general and the DRTs in particular and bring necessary changes in the law or procedures at the earliest so that bottlenecks are removed and the huge pile-up of recovery cases are cleared fast in a definite time-frame.	ii. Holding of Lok Adalats on regular basis - Lok Adalats by Debt Recovery Tribunals are held on regular basis. iii. Rationalization of areas of jurisdiction of DRTs - The areas of jurisdiction under Debt Recovery Tribunals are being rationalized with a purpose of ensuring better case load distribution among DRTs to reduce time taken to dispose a case. iv. Establishment of six new DRTs at Bengaluru, Chandigarh, Dehradun, Ernakulam, Hyderabad and Siliguri. - Selection to some of the posts has already been made. For remaining posts, vacancy circulars have been issued. Some premises for the DRTs have been finalized and for remaining action have been initiated.		

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
14	Para 14	"The Committee note that as much as Rs. 6,702.02 crore has been transferred to the corpus of the Depositor Education and Awareness Fund maintained with the RBI, which comprises of unclaimed amount of various types of deposits and certain other cash balances with banks which have not been operated for 10 years or more. The actual figure of such unclaimed deposits/ balances could be even higher, if we consider periods less than 10 years. The Committee have been informed that guidelines have been issued by RBI for registering organisations for grant of financial assistance from this Fund. As the corpus is fairly large, the Committee would like to be apprised about the utilization of funds on this count. The Committee would also like emphasise that every effort should be made to access the person/ entity before the deposit or balance is transferred to the above Fund and his/ successor's claim should be easily settled by the bank in a hassle-free manner even after such a transfer".	Depositor Education and Awareness Fund shall be utilized for promotion of depositors' interest and for such other purposes which may be necessary for the promotion of depositors' interests as may be specified by the Reserve Bank from time to time. For this purpose, various institutions organizations or associations engaged in activities relating to depositor awareness and education, including those proposing to conduct programmes for depositors of banks, meeting the criteria set out by RBI in the Scheme will be registered/recognized from time to time. The funds will be utilized for organizing seminars and symposia for depositors and undertaking projects and research activities relating to these areas. The guidelines for the criteria for registering institutions, organizations and associations for grant of financial assistance from the Fund were released on January 9, 2015. In the first tranche, 90 applicants have applied for registrations which are under the process of scrutiny. After approval of the eligible applicants by the Committee, they will be advised to submit specific proposals for financial assistance to RBI. The Depositor Awareness Fund Committee constituted to administer the Fund has decided that the total financial assistance to be provided under the Scheme will be limited to the surplus generated by the investment of the Fund by RBI i.e. interest income remaining with RBI after paying interest on unclaimed deposits at the rate of 4% and meeting operating expenses of the Fund.	Accepted	Reserve Bank of India on October 1, 2015 alleged the names of 20 entities that have been approved by the Depositor Education and Awareness Fund Committee (DEAFC) for registration for seeking grant of financial assistance from the Depositor

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			RBI has been conscious that only the unclaimed deposits and other credit balances where the banks have not been able to contact the depositors for more than 10 years are transferred to the Fund. In particular, RBI had issued circular dated 21 November 2014 reiterating its earlier instructions that banks should make special efforts to trace the customers in respect of the inoperative accounts. Further, banks have been advised that in case of demand from a customer/ depositor whose unclaimed amount/deposit had been transferred to Fund, banks shall repay the customer/ depositor, along with interest if applicable, and lodge a claim for refund from the Fund for an equivalent amount as paid to the customer/depositor. The banks have been lodging claims for refund after making upfront payment to the customers/depositors and RBI has hardly received any complaints from customers in this regard.		Education and Awareness Fund. These 20 entities have been selected out of 90 applications received for registration. The selection process involved a scrutiny by an internal team of the Reserve Bank followed by an assessment of the applications by the

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
					Depositor Education Awareness Fund Committee, which inter-alia has three external members. The applicants have been selected on the basis of their meeting the minimum eligibility criteria, track report and evaluation of the work done by them in the

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
					field of depositor education, consumer awareness, consumer protection etc. The registered entities are required to make application in the prescribed format along with all relevant and supporting documents/ information for project-specific financial assistant

Sl. No.	Recommend-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
					from the fund. As on November 30, 2015 the total corpus of the fund stands at Rs.8944 crores. RBI has so far received applications from 8 entities seeking financial assistance from the fund.